(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

बुधवार,

22 जनवरी, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंहजी।

प्रश्न संख्या 26

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें।)

श्री भवानी जी जोशी।

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

जिला बांसवाड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पद

27. **श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में चिकित्सकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के कस्बा परतापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला विशेषज्ञ का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद कब तक भर दिया जाएगा ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) रिक्त पदों की सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है।

चिकित्सा अधिकारियों की नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दी गयी है। योग्य चिकित्सा अधिकारी यथा चयनित अभ्यर्थियों के नाम आने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। वरिष्ठ पदों पर पदस्थापन, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के पश्चात् चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।

(2) जी, हां। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पश्चात् चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जाएगी।

(सूचना के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : .... (व्यवधान) जो बात कही थी उसका कोई उत्तर नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही थी उसका कोई उत्तर नहीं आया है।.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : बहुत गम्भीर विशेषाधिकार हनन का मामला है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर प्रिविलेज इश्यू है। बहुत गम्भीर विशेषाधिकार हनन का मामला है इसलिए प्रश्नकाल को स्थगित करें। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : कल प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही थी.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : विधायक की टांग टूटी है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : यह कानूनी नहीं है, कानून के खिलाफ है लिहाजा दुबारा महामहिम राज्यपाल महोदय को बुलवा कर यहां पर उनका अभिभाषण करवाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कार्डन करिये। कार्डन करिये। कोई ऊपर नहीं आए। कार्डन करिये इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि महिला चिकित्सक कब तक पदस्थापित कर दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनियुक्तियों पर उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया है (व्यवधान).. फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यथाशीघ्र चिकित्सक के पद भरने की कार्यवाही कर दी जाएगी।

प्रश्न संख्या–28

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज जी भाटी।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदनकूप में नारे)

श्रीमती सूर्यकान्ताजी।

जिला जोधपुर के ग्रामों में खाद्य सामग्री का वितरण

29. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जोधपुर में चयनित क्षेत्रों में वर्ष 1993 से 1996 की अवधि में कौन-कौन से चयनित ग्रामों में कितनी मात्रा में गेहूं आवंटित कर उसका वितरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग उप आवंटन जिला रसद अधिकारी द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो आवंटन की प्रतियां व उस आवंटन में से कितना-कितना उठाव किस-किस क्षेत्र में हुआ तथा उसमें से कितना-कितना वितरण हुआ व शेष बचे ग्रामीण क्षेत्र के गेहूं का किस क्षेत्र में वितरण किया गया एवं किसके आदेश से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उचित मूल्य की दुकानें सहकारी बाजार से जोधपुर को आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी स्थानान्तरित करने की क्या नीति व आधार रखा गया है और क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा उठाये गये गेहूं का भौतिक

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सत्यापन किया गया अथवा मात्र निरीक्षण किया गया ? यदि भौतिक सत्यापन नहीं किया गया तो क्यों ? भौतिक सत्यापन नहीं करने वाले अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) जोधपुर जिले की चयनित तहसीलों में वर्ष 1993 से 1996 तक की अवधि में जितनी मात्रा में गेहूं आवंटित किया गया एवं वितरण किया गया उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । अल्प अवधि में ग्रामवाइज सूचना सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है ।

(2) जी हां, अलग-अलग उप आवंटन आदेश जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् जारी किये जाते हैं । उप आवंटन आदेशों की वर्ष 1993 से 1996 तक की प्रतियां सदन की मेज पर अल्प अवधि में रखना सम्भव नहीं है । ग्रामीण क्षेत्र का गेहूं अन्यत्र वितरण नहीं हुआ है ।

(3) सहकारी बाजार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नियमित सप्लाई नहीं मिल पाती थी जिससे वितरण व्यवस्था में काफी कठिनाई उत्पन्न होती थी । जनहित में कुछ उचित मूल्य की दुकानों को जोधपुर को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी से गेहूं उठाने के लिये अधिकृत किया गया । इससे पहले भी जोधपुर को आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर शहरी क्षेत्र की दुकानों के लिये वितरण का कार्य करती थी । इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है । प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्वविवेक निर्णय लिया जाता है ।

(4) सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षकों द्वारा मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा उठाये गये गेहूं का वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन भी किया गया है । (व्यवधान)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रश्न संख्या–30

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार जी धारीवाल ।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–31

श्री लक्ष्मण सिंह जी ।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–32

श्री उदयलालजी आंजना ।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–33

श्री रतनलाल जी ताम्बी ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

(स्थगित)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री राजेन्द्र जी गहलोत ।

जोधपुर शहर में अण्डर ब्रिज निर्माण प्रकरण

34 श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर में पावटा "सी" रोड पर अण्डर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रेलवे मन्त्रालय द्वारा भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ? इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) जोधपुर नगर में अण्डर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव रेलवे विभाग में कब-कब भेजे ? इन प्रस्तावों की स्वीकृति कब तक मिल जाएगी व कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा तथा इसमें सरकार की क्या भूमिका रहेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जोधपुर नगर में पावटा "सी" रोड पर अण्डर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा रेलवे विभाग को भेजा गया एवं रेलवे के मुख्य अभियन्ता (ब्रिज) द्वारा उनके पत्र क्रमांक 260 डब्ल्यू 410/ब्रिज/एस. एण्ड डी./ दिनांक 24-12-1996 द्वारा सहमति व्यक्त की गयी । राज्य सरकार ने रेलवे को निर्धारित प्रपत्र में 9-1-97 को सहमति दे दी है । प्रस्ताव रेलवे द्वारा विचाराधीन है । उक्त निर्माण की कुल अनुमानित लागत रुपये 65.00 लाख है जिसमें रुपये 31.00 लाख रेलवे ब्रिज के निर्माण हेतु सम्मिलित हैं । राज्य सरकार द्वारा 30-8-96 को रुपये 15.00 लाख की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में जारी की जा चुकी है ।

(2) उपरोक्तानुसार । पावटा "सी" रोड पर अण्डर ब्रिज की स्वीकृति रेल मंत्रालय से प्राप्त होने पर उसमे निहित अनुबन्ध की शर्तों पर राज्य सरकार द्वारा एप्रोच सड़क निर्माण की कार्यवाही शुरू की जाएगी । रेलवे के पत्र दिनांक 18-12-96 के द्वारा ऐसा संकेत दिया गया है कि इस कार्य को 97-98 में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किये जाने की योजना है । रेल मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी एवं राज्य सरकार 50:50 के आधार पर इस कार्य का वित्तीय भार वहन करेगी ।

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष : बाहर निकालो इनको । बाहर निकालो इनको । जुबेर खान को बाहर निकालो । श्री अर्जुनदासजी मदान । (व्यवधान) कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ।

प्रश्न संख्या-35

श्री अर्जुनदास मदान ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें ।)

प्रश्न संख्या-36

श्री हरजीराम बुरड़क ।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या-37

श्री मोहनलाल बारूपाल। श्री हरजीरामजी बुरडक।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-38

श्री भीमसेनजी चौधरी।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

श्री अरूण सिंहजी।

डीग उपखण्ड (भरतपुर) के बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामों का सर्वेक्षण

39. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीग उप खण्ड जिला भरतपुर में इस वर्ष आयी बाढ़ का सर्वेक्षण करवाया गया था ? यदि हां, तो बाढ़ से उपखण्ड के कौन-कौनसे ग्राम प्रभावित हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाढ़ से हुई क्षति का ग्राम एवं व्यक्तिवार सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डीग उपखण्ड में बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्राम एवं व्यक्तियों का सही सर्वे नहीं किये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका पुनः सर्वे करवा कर बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

प्रश्न संख्या-40

श्री आर. पी. शर्मा।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-41

श्री बनवारीलालजी बैरवा।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-42

श्री रामरिछपालजी नुवाल।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-43

श्री रामस्वरूप मीणा।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-44

श्री रामपालजी उपाध्याय।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या–45

श्री फतेह सिंहजी।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–46

श्री कन्हैयालालजी मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–47

श्री ओमप्रकाशजी शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–48

श्री भगराज चौधरी।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदनकूप में नारे)

प्रश्न संख्या–49

श्री कालूलालजी गूजर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–50

श्री विष्णुजी मोदी।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही एक घंटे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदुनन्तर सदन की कार्यवाही 11 09 बजे एक घंटे के लिये स्थगित हुई)

अनुपस्थित व बोलने के लिए खड़े नहीं हुए सदस्यों के तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

विधान सभा क्षेत्र डेगाना की सड़कों का डामरीकरण

26. श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डामरीकृत सड़कों के नवीनीकरण का प्रावधान कितने समय बाद करने का है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में स्टेट हाई–वे सड़कों पर पिछले तीन वर्षों में कितने किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया ? इन नवीनीकरण पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डेगाना-नागौर स्टेट हाईवे पर ग्राम लेगोड़ से ग्राम बामणा (कि. मी. 71 से कि. मी. 80) तक पिछले तीन-चार वर्षों में नवीनीकरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? अब इस सड़क का नवीनीकरण कब तक करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा संधारित डामरीकृत सड़कों के नवीनीकरण का समय चक्र निम्न प्रकार है :—

1. शहरी सड़कें	4 से 5 वर्ष में
2. राज्य उच्च मार्ग	6 से 8 वर्ष में
3. मुख्य जिला सड़कें	8 से 10 वर्ष में
4. अन्य जिला एवं ग्रामीण सड़कें	12 वर्ष में

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में स्टेट हाईवे सड़कों पर पिछले तीन वर्षों में कुल 7 किमी. नवीनीकरण का कार्य किया गया एवं कुल 16.06 लाख रुपये व्यय किये गये। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 95–96 में वार्षिक संधारण प्रोग्राम में स्वीकृत होने के बावजूद इन 8 किमी. में डामर के अभाव में नवीनीकरण का कार्य नहीं कराया जा सका। अब उक्त 8 किमी. का नवीनीकरण का कार्य माह मार्च, 97 तक पूर्ण करवा दिया जायेगा।

(विवरण के लिए परिशिष्ट–2 देखें)

नगर परिषद पाली द्वारा आबंटित भू-खण्ड

28. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, पाली द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को नगर परिषद सीमा पाली में भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो आबंटियों की सूची मय नाम, पता व भूखण्ड संख्या के सदन की मेज पर रखें।

(2) भूतपूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं को उपरोक्त भूखण्ड किन-किन शर्तों पर आबंटित किये गये ? शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को आवंटित भूखण्डों पर वर्तमान में मूल आबंटी ही काबिज हैं ? यदि हां, तो काबिजों की सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इन इन भूखण्डों पर वर्तमान में कौन-कौन काबिज हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को आबंटित भूखण्डों पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा भवन निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा व क्या आबंटन के दौरान स्वीकार की गई शर्तों का उल्लंघन हुआ है ?

(5) क्या सरकार इन भूखण्डों पर मूल आबंटी के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा करवाये गये भवन निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि आबंटियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जिन शर्तों पर भूखण्ड आबंटित किये गये हैं, उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) नगर परिषद में आबंटन शुदा भूखण्डों पर काबिजों के सम्बन्ध में रिकार्ड रखने का प्रावधान नहीं है।

(4) भवन निर्माण की स्वीकृति मूल आबंटियों को जारी की गई है। आबंटन की शर्तों में संख्या 3 का उल्लंघन भूखण्ड सं. 126 व 128 को छोड़कर शेष भूखण्डों के मामलों में हुआ है।

(5) भूखण्डों पर भवन निर्माण की स्वीकृति मूल आबंटियों द्वारा ही ली गई है। इसलिये किसी अन्य द्वारा भवन निर्माण की जानकारी नगर परिषद को नहीं है।

(सूची एवं विवरण के लिए परिशिष्ट 3 देखें)

निभराना (राजसमन्द) क्षेत्र में खनन कार्य

30. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले में निभराना क्षेत्र में द्वारकाधीश मन्दिर मण्डल, कांकरोली की भूमि में मन्दिर मण्डल के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर मार्बल खनन कार्य हेतु लीज जारी की गयी है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को किन-किन तारीखों में ?

(2) उक्त खनन लीजधारियों द्वारा किस तारीख से नई मार्बल नीति के अनुसार खनन कार्य प्रारम्भ किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में अवैध खनन कार्य होने का मामला सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो कब तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजसमन्द जिले में निभराना क्षेत्र में द्वारकाधीश मन्दिर मण्डल, कांकरोली की खातेदारी भूमि में मन्दिर मण्डल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर मार्बल खनन कार्य की जो लीज आबंटित की गई है, उसकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–"अ")

(2) उक्त लीजधारियों में जिन लीजधारियों द्वारा नई मार्बल नीति के अनुसार क्षेत्र में खनन कार्य चालू किया गया एवं जिन लीजधारियों द्वारा क्षेत्र में खनन कार्य चालू नहीं किया गया है, उनकी सूची (परिशिष्ट–"ब") संलग्न है।

(3) जी हां, उक्त क्षेत्र में अवैध खनन कार्य के जो मामले ध्यान में आये हैं उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-स में दिया गया है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अन्य पिछड़ी जातियों हेतु विचाराधीन योजनाएं

31. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

(1) सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जाति के कल्याणार्थ वर्ष 1994–95, 1995–96 व 1996–97 में क्या-क्या ठोस कदम उठाये गये ?

(2) सरकार भविष्य में अन्य पिछड़ी जाति के हितार्थ क्या-क्या योजनाएं बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 94-95, 95-96 व 96-97 में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ निम्न ठोस कदम उठाये गये :—

1. मण्डल आयोग द्वारा राजस्थान के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की जो सूची बनाई गई थी, उसे समस्त प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान कर 27-8-1993 को अधिसूचित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के नाम जोड़ने/हटाने हेतु राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अधिसूचना 11-3-93 के द्वारा किया गया, जिसका प्रथम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार विमर्श करने के पश्चात् उक्त सूची को विखण्डित करते हुए अन्य पिछड़े वर्गों की नवीन सूची दिनांक 6-8-94 को अधिसूचित की गई।

2. राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले पदों का 21 प्रतिशत अंश अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिसूचना दिनांक 28-9-93 के द्वारा आरक्षित किया गया एवं अपवर्जन के मापदण्ड निर्धारित किये गये।

3. विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं अधिकारियों के 21 प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिसूचना दिनांक 7-7-95 के द्वारा आरक्षित कर दिए गए हैं। साथ ही तकनीकी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित विश्वविद्यालयों के सभी श्रेणियों के अधीनस्थ एवं मन्त्रालयिक कर्मचारियों (गैर शैक्षणिक) के पदों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 21 प्रतिशत का आरक्षण लागू करने के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन के निर्देश विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा के द्वारा दिनांक 18-10-95 को सभी विश्वविद्यालयों को दिये गये।

4. राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28-9-93 के साथ उपाबद्ध अनुसूची में उन व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को विनिर्दिष्ठ किया गया जिनको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। उक्त उपाबद्ध अनुसूचि के बिन्दु संख्या–11 राजकीय सेवाओं में कार्यरत ग्रुप–1 एवं ग्रुप–2 के अधिकारियों पर लागू होने वाले अपवर्जन के नियम वर्णित अपवर्जन नियम के उक्त बिन्दु संख्या 11 में ग्रुप–1 एवं ग्रुप–2 वर्गों में किस-किस स्तर के अधिकारी सम्मिलित होंगे, तत्सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारित नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा परीक्षण कर परीक्षणोपरान्त अपवर्जन के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के समकक्ष ग्रुप–1 एवं ग्रुप–2 के स्तर के अधिकारियों के मापदण्ड निर्धारित सम्बन्धी आदेश कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 15-4-96 को जारी किये जा चुके हैं।

5. कार्मिक विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु विभिन्न सेवा नियमों

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

में संशोधन अधिसूचना दिनांक 24-5-94 के द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

6. अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की सूची प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश दिनांक 25-11-93 को जारी किये गये।

7. सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दिनांक 26-2-94 को जारी आदेशों के द्वारा रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण किया गया।

8. परिपत्र दिनांक 8-11-94 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे गैर हिन्दु व्यवसायी जातियों को, जो अपने पुश्तैनी/पैतृक व्यवसाय के नाम से जानी जाती हैं और जिनके हिन्दू प्रतिरूप अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर लिये हैं व जिनके हिन्दू और गैर हिन्दू व्यवसायिक नाम समान हैं, को भी अन्य पिछड़े वर्गों में ही माना जायेगा।

9. राज्य सरकार द्वारा 25-2-94 को जारी किये गये आदेशों के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों को राज्य सेवा में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण 28-9-93 से ही प्रभावी है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यदि 28-9-93 के बाद भी निकाले गये विज्ञापनों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण इंगित नहीं किये गये हैं तो विभिन्न विभागों द्वारा संशोधित विज्ञापन जारी किये जायेंगे।

10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम से अन्य पिछड़े वर्गों को ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम को चैनेलाईजिंग एजेन्सी नियुक्त किया गया है।

11. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 6-5-96 के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों के अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाकर 35 वर्ष निर्धारित की गयी है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13-11-96 के द्वारा विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को 2 वर्ष की छूट उच्च आयु सीमा में दी गई है।

12. पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 (3) के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। इसी तरह उक्त अधिनियम की धारा 16 (3) के अन्तर्गत सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों के पदों के लिए भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(2) पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक योजना सरकार द्वारा विचार कर तैयार की जायेगी।

बाड़ी मानसरोवर एवं गम्भीरी बांध निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

32. श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री उदय लाल आंजना)

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई मंत्री द्वारा निर्माणाधीन बाड़ी मानसरोवर बांध एवं गम्भीरी बांध का वर्ष 1996 में आकस्मिक निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो क्या इन दोनों बांधों के निर्माण कार्यों या रिपेयरिंग कार्यों में कोई अनियमितताएं पाई गई थी ? यदि हां, तो अनियमितताओं का स्वरूप क्या था तथा क्या सरकार द्वारा अनियमितताओं पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इन दोनों बांधों के निर्माण कार्यों की कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच की क्या प्रगति रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) गम्भीरी बांध एवं नहरों के रिपेयरिंग कार्यों पर गत तीन वर्ष 1994, 1995 एवं 1996 में कितनी धनराशि व्यय की गई तथा कार्यों का क्या स्वरूप रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 1–2 नवम्बर, 1996 को सिंचाई मंत्री द्वारा कार्यस्थल के निरीक्षण किये जाने पर बाड़ी मानसरोवर बांध के निर्माण में पाई गई अनियमितताएं परिशिष्ट–"1" में दर्शायी गई है । गम्भीरी बांध की मुख्य नहर की चैन 55 से 80 तक बनाई गई दीवार एवं चैन 130 से निकले पक्के वोरे के निर्माण कार्यों के निरीक्षण पर इन कार्यों की गुणवत्ता में भी कुछ कमी पाई गई थी ।

उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित अभियंताओं को वहां तुरन्त हटाया जाकर जांच प्रारम्भ करवाई गई ।

(2) जी हां । राज्य सरकार के आदेश दिनांक 6-11-96 द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । प्रकरण में प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । जो विचाराधीन है ।

(3) गम्भीरी बांध एवं उसकी नहरों के रिपेयरिंग पर गत तीन वर्षों में रख रखाव मद/बाढ़ राहत मद एवं अकाल राहत मद में निम्नानुसार धनराशि व्यय की गई । मरम्मत कार्यों में नहरों की मरम्मत एवं सिल्ट सफाई का कार्य किया गया । बाढ़ राहत मदों में क्षतिग्रस्त नहरों, सी. डी. वर्क्स की मरम्मत का कार्य किया गया ।

वर्ष	रख-रखाव मद में खर्च (लाख रुपये)	बाढ राहत मद में खर्च (लाख रुपये)	अकाल राहत मद में खर्च (लाख रुपये)	योग
93–94	7.13	4.39	0.17	12.29
94–95	6.46	57.38	4.34	8.18
95–96	3.54	—	0.24	3.78
योग :	17.13	62.37	4 75	84.25 लाख

(सूचना के लिए परिशिष्ट–4 देखें)

गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच हेतु संचालित केन्द्र

35. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाड़पुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्व में जिलेवार ऐसे कुल कितने आनुवांशिक केन्द्र, प्रयोगशाला एवं क्लिनिक हैं, जहां पर भ्रूण के लिंग के पता लगाने की सुविधा उपलब्ध है ?

(2) राज्य में गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच को निषिद्ध करने वाले कानून बनने के पश्चात् अब तक जिलेवार ऐसे कितने आनुवांशिक केन्द्र, प्रयोगशाला एवं क्लिनिक हैं, जिन्होंने इस कानून के अन्तर्गत पंजीयन करवाया है और कितनों ने नहीं ?

(3) जिन्होने पंजीयन नहीं करवाया हैं, उनके विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नहीं है ।

(2) केन्द्रीय प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 के लागू होने के पश्चात् अब तक अजमेर जिले में निम्नलिखित दो चिकित्सा संस्थानों ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन करवाया है :–

1. मेडीस्केन सोनोग्राफी सेन्टर 348 टोडरमल मार्ग, अजमेर ।
2. पूर्णा डाइग्नोसिस सेन्टर मीन विला अशोक मार्ग, अजमेर इसके अतिरिक्त श्री गंगानगर जिले के छः आवेदन पत्र पंजीयन हेतु प्राप्त हुए हैं जिनके पंजीयन की कार्यवाही जारी है शेष 29 जिलों की सूचना शून्य है ।

(3) केन्द्रीय प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पंजीयन कराने की खुली सुविधा उपलब्ध है जिसके अन्तर्गत कोई भी इच्छुक आनुवांशिक केन्द्र, प्रयोगशाला एवं क्लीनिक नियमानुसार आवेदन पत्र देकर पंजीकरण करा सकता है । विभाग के पास इस अधिनियम के विरुद्ध जांच/परीक्षण कराने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

नगरपालिका लाडनूं द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय

36. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर के अध्यक्ष व अधीशाषी अधिकारी ने बिना नगरपालिका मण्डल की स्वीकृति के ही निर्माण कार्य कराये व सामान की खरीद की ? यदि हां, तो वर्ष 1995–96 व 1996–97 में कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के कब-कब कराये गये तथा कितना-कितना व कौन-कौनसा सामान खरीदा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नगरपालिका के सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में या अन्य मामलों की शिकायतें राज्य सरकार, जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी को की गई ? यदि हां, तो चालू वर्ष में कौन-कौनसी शिकायतें कब-कब किस-किस को की गयीं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? शिकायतें व जांच रिपोर्ट की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सदस्यों को शिकायत पर निदेशक, स्थानीय निकाय ने जिला कलक्टर, नागौर को जांच करके 1–2 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? शिकायत व जांच प्रतिवेदन व उस पर की गई कार्यवाही की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त नगरपालिका की बैठक समय पर होती है या नहीं इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये तथा आगे क्या-क्या कदम उठाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। नगरपालिका मण्डल की पूर्व स्वीकृति से ही वर्ष 1995–96 में 58450/- रुपये के निर्माण कार्य किये गये हैं। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में सक्षम स्वीकृति के निर्माण कार्य कराये गये हैं व सामान की खरीद की है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। दिसम्बर, 96 में शिकायतों की जांच तहसीलदार, लाडनूं द्वारा की जाकर अपनी रिपोर्ट उप जिलाधीश को भेजी गई है, जो अभी उनके यहां परीक्षणाधीन चल रही है। शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, हां। शिकायत एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) नगरपालिका मण्डल की बैठक समय-समय पर आवश्यकतानुसार की जाती है। समय पर मण्डल की बैठक करने के सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्देश/परिपत्र जारी किये गये हैं।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर में बढ़ते आपराधिक प्रकरण

37. **श्री मोहनलाल बाकपाल** (जायल), **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) एवं **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर में कलैण्डर वर्ष 1996 में हत्या, डकैती, चोरी, अपहरण, बलात्कार आदि की कौन-कौनसी घटनाएं कब-कब हुई ? तथा उन में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1995 के मुकाबले वर्ष 1996 में उपरोक्त अपराध अधिक हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 में जयपुर शहर में हत्या, डकैती, चोरी, अपहरण, बलात्कार आदि की घटनाओं की सूचना परिशिष्ट 'क' में अंकित कर संलग्न है।

(2) अपराधों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। जयपुर सहर द्रुतगति से बढ़ती आबादी शहर का बढ़ता हुआ आकार एवं बढ़ती हुई यातायात व्यवस्था एवं इस अनुपात में स्टाफ की कमी मुख्य कारण है। अपराधों की रोकथाम हेतु रात-दिन बीट, गश्त, नाकाबन्दी संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी एवं वाहनों की चैकिंग की व्यवस्था की गई है। पुलिस पुनर्गठन के अन्तर्गत नये थाने चौकियां खोले गये हैं और अन्य रूप से पुलिस को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(सूचना के लिए परिशिष्ट-5 देखें)

खाजूवाला वितरिका से सिंचाई व्यवस्था में सुधार

38. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खाजूवाला वितरिका में 32 से 44 अंतिम छोर के चकों के काश्तकारों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय विधायक व काश्तकारों के संगठनों तथा भारतीय किसान संघ व भारत कृषक समाज की खाजूवाल इकाई ने दिनांक 18 नवम्बर 1996 को सिंचाई मंत्री की व्यवस्था में सुधार हेतु ज्ञापन दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि मंत्रीजी के आदेश के बावजूद इस वितरिका के उपरोक्त चकों के काश्तकारों को सिंचाई हेतु निर्धारित मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो इन चकों के काश्तकारों को निर्धारित क्षमता में सिंचाई हेतु पानी मिले इसके लिए क्या अधिकारियों द्वारा सरकार को कोई सुझाव दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने उपरोक्त सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) टेल पर पानी कम पहुंचता है खाजूवाला वितरिका के टेल के चकों को पानी उपलब्ध कराने हेतु खाजूवाला वितरिका की आर. डी. 6–17 तक का बैड डिजाइन के अनुसार काश्तकारों के खर्चे पर ठीक कराने की स्वीकृति अक्टूबर 93 में प्रदान की गई थी लेकिन कृषक यह कार्य

(सिंचाई मन्त्री)

नहीं कर पाये। अब माननीय सांसद बीकानेर लोक सभा क्षेत्र के द्वारा सांसद कोटे से 1.25 लाख रुपये की स्वीकृति देने पर यह कार्य दिनांक 2-1-97 से 19-1-97 को नहरबंदी में करवाया जा रहा है। साथ ही साथ खाजूवाला वितिरिका की आर. डी. 6000 तक सिल्ट सफाई का कार्य विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, आर.डी. 17000 के नीचे बर्म कटिंग के कार्य हेतु क्षेत्र के काश्तकारों से सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सम्भव है अब टेल पर पानी उचित मात्रा में पहुंचेगा।

(4) जी नहीं।

भरतपुर क्षेत्र की बाढ़ प्रभावित सड़कें

40. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) एवं श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में पिछले दो वर्षों में लगातार बाढ़ आने के कारण कौन-कौनसी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं ?

(2) उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि प्रतिवर्ष व्यय होना प्रस्तावित थी ?

(3) उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उन पर अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(4) क्या भरतपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित सभी सड़कों का निर्धारित अवधि में पुनर्निर्माण हो सकेगा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 1995 एवं 1996 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की सूची प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र 'ब" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 1995 में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु जून, 1996 तक रुपये 182.0 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित था। वर्ष 96 में क्षतिग्रस्त सड़कों के तत्काल मरम्मत हेतु 43.00 लाख रुपया व्यय होना प्रस्तावित था एवं इन सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु रुपये 245.00 लाख की स्वीकृति राज्य सरकार के विचाराधीन है जिसमें से रुपये 122.50 लाख वर्ष 1996–97 एवं रुपये 122.50 लाख वर्ष 97–98 में व्यय किया जाना विचाराधीन है।

(3) वर्ष 1995 में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा रुपये 182.00 लाख की स्वीकृति जारी की। जिसके विरुद्ध रुपये 175.02 लाख (प्रपत्र "स") व्यय किये गये। वर्ष 1996 में तत्काल मरम्मत हेतु रुपये 43.00 लाख राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जिसके विरुद्ध रुपये 73.67 लाख (प्रपत्र "द") व्यय किये गये तथा पुनर्निर्माण हेतु 245.00 लाख रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) वर्ष 1995 में क्षतिग्रस्त स्वीकृत सड़कों का पुनर्निर्माण जून, 1996 तक

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तकरीबन पूर्ण कराया जा चुका है। तथा वर्ष 96 में क्षतिग्रस्त सड़कों के तकमीने तैयार कर निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं जो जनवरी, 1997 के अन्तिम सप्ताह तक प्राप्त हो जायेगी। राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन स्वीकृति जारी करने के उपरान्त इन कार्यों को प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में मलेरिया रोग की रोकथाम

41. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) एवं **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष मलेरिया रोग भयंकर प्रकोप के रूप में पूरे राजस्थान में फैला है ?

(2) यदि हां, तो राज्य में अचानक मलेरिया फैलने के कारण क्या थे ? इस भयंकर महामारी का प्रकोप दुबारा न हो इसके लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष मलेरिया महामारी से कितने लोगों की मृत्यु हुई ? जिलेवार सख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य के कुछ जिलों में मलेरिया फैलने के मुख्य कारण लगातार औसत से अधिक एवं लंबे समय तक वर्षा होना व पानी एकत्रित होना रहा। मलेरिया रोग की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये उपायों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इस वर्ष राज्य में मलेरिया रोग से कुल 90 लोगों की मृत्यु राज्य के बीस जिलों में हुई जिलेवार मलेरिया से हुई मृत्युओं की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट–6 देखें)

भीलवाड़ा शहर की पेयजल व्यवस्था

42. श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हुड़को द्वारा गत वर्षों में भीलवाड़ा शहर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार को राशि उपलब्ध करवाई गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या सरकार भीलवाड़ा शहर की बढ़ती आबादी एवं घनत्व को देखते हुए अन्य संसाधनों से भी पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन संसाधनों से और कब तक इसका क्रियान्वयन हो सकेगा ?

(3) क्या यह सही है कि बनास नदी भीलवाड़ा शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है ? क्या सरकार बनास नदी का जल भीलवाड़ा शहर में पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। माह जनवरी, 1997 में हुडको द्वारा राज्य सरकार को 115 लाख रुपये की प्रथम किस्त उपलब्ध कराई गई है।

(2) जी, हां। भीलवाड़ा शहर की बढ़ती आबादी को समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1995 में भीलवाड़ा शहर की पुनर्गठित पेयजल योजना जिसकी अनुमानित लागत 1353.45 लाख रुपये स्वीकृत की गई है तथा इस योजना का कार्य प्रगति पर है। योजना का कार्य वर्ष 1998 के अन्त तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) यह सही है कि बनास नदी भीलवाड़ा शहर से लगभग 15 कि.मी. दूरी पर है। लेकिन इस नदी से भीलवाड़ा शहर में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में भीलवाड़ा शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु पुनर्गठित जल-प्रदाय का कार्य प्रगति पर है जिसमें वर्तमान स्रोत मेजा बांध से ही जल आपूर्ति की जायेगी।

राज्य में बस एवं पेट्रोल पम्प लूट की घटनाएं

43. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में बस डकैती एवं पेट्रोल पम्पों को लूटने की वर्ष 1995–96 में कितनी घटनाएं हुई ? उनमें से कितनी घटनाओं में अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बस डकैती में लिप्त डकैतों को पकड़ने वालों को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को ? विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पिलानी जिला झुन्झुनूं में पेट्रोल पम्पों के लुटेरों को पकड़ा गया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें पकड़ने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 के मध्य राज्य में बस डकैती की कुल चार (4) एवं पेट्रोल पम्प लूटने सम्बन्धी 25 घटनाएं घटित हुई। जिनमें से बस डकैती की 4 घटनाओं तथा पेट्रोल पम्प की 11 घटनाओं में अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) बस डकैती के अभियुक्तों को पकड़ने के सम्बन्ध में श्री किशोर सिंह, एच. सी. नं. 211 को जिला मजिस्ट्रेट, धोलपुर द्वारा 15 अगस्त, 1996 पर सम्मानित किया गया है।

(3) जी, हां। इस साहसिक कार्य के लिये थाना प्रभारी पिलानी को जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने स्वतन्त्रता दिवस 1996 को सम्मानित किया एवं शेष 7 कर्मचारियों को उप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज द्वितीय ने प्रशंसा-पत्र मय नकद राशि से पुरस्कृत किया है।

(सूचना के लिये परिशिष्ट–7 देखें)

मातृकुण्डिया (बनास) पर निर्मित बांध से जल वितरण

44. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बनास नदी पर मातृकुण्डिया बांध बना हुआ है ? यदि हां, तो उसकी कुल क्षमता कितने एम. सी. एफ. टी. पानी की है ? उस पर अब तक कुल कितनी धनराशि मेजाफीडर सहित व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इससे मेजा-फीडर मेजा डेम को फीड करती है ? यदि हां, तो उसकी क्यूसेक क्षमता, लागत, लम्बाई और कुल कितना पानी मेजा डेम में जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस बांध से दरीबा माइन्स को भी पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो कुल कितना पानी प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिसकी कितनी राशि वसूल की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त बांध से सिंचाई हेतु भी पानी सीधा दिया जाता है, यदि हां, तो कुल कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि इतने बड़े बांध से गंगापुर (भीलवाड़ा) की जलदाय (पुर्नगठित) योजना हेतु तथा पेयजल समस्या के स्थायी निदान हेतु मात्र 30·40 एम. सी. एफ. टी. पानी की विभागीय कीमत पर जलदाय विभाग द्वारा मांग की जा रही है जिसे सिंचाई विभाग द्वारा सहमति नहीं दी जा रही है ? जिससे चार करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृत जलदाय योजना अधर-भूल में पड़ी हुई है ?

(6) उक्त अपेक्षित पानी की सहमति/स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। बांध की कुल भराव क्षमता 1789 एम. सी. एफ. टी. है। बांध व मेजा फीडर के निर्माण में 3/96 तक राशि रुपये 3207 लाख रुपये का व्यय हो चुका है।

(2) जी हां। मेजा फीडर की क्षमता 300 क्यूसेक है। फीडर की लम्बाई 58.20 किलोमीटर है। फीडर निर्माण पर 1064.74 लाख का व्यय हुआ है। क्षमतानुसार प्रतिदिन 22 एम. सी. एफ. टी. तक पानी मेजा डेम में डाला जाता है। (वर्षवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।)

(3) जी हां। प्रतिवर्ष 213 एम. सी. एफ. टी. तक पानी हिन्दुस्तान जिंक को देने का आरक्षण का समझौता है। वर्ष 1992 से 1996 की अवधि में हिन्दुस्तान जिंक को दिए गए पानी एवं तत्सम्बन्धी वसूल की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) गंगापुर की पेयजल हेतु जलदाय विभाग ने 36.50 एम. सी. एफ. टी. पानी

(सिंचाई मंत्री)

प्रतिवर्ष की मांग की है, इस मात्रा में बांध के वाष्पीकरण, सीपेज लोसेस आदि सम्मिलित नहीं है, इनको शामिल करने पर कुल मांग लगभग 91.5 एम. सी. एफ. टी. होती है। इसके आरक्षण बाबत प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) प्रकरण पर निर्णय शीघ्र कर दिया जाएगा।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की सड़कों का निर्माण

45. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कौन-कौनसी सड़के अधूरी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परनाला से टिमेडा, लिमेडा से सबलपुरा, कोटडा से सबलपुरा, उकाला से वसुनि, हिम्मतगढ़ से उकाला, सानसेरे से चोरा बड़ा, डूणरा से जाकीमपुरा, कलीजरा से इटाला, मदुडी से हेजामाल सड़कें लम्बे समय से अधूरी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अधूरी सड़कों को प्लान में लेकर पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में निम्नांकित सड़कें अधूरी हैं :–

1. सम्पर्क सड़क मच्छारा साथ पं. मु. (179/1991)
2. लिंक रोड कुशलगढ़ शोयन घाटी
3. सम्पर्क सड़क मुन्दड़ी पं. मु. (408/1991) इनमें से क्रमांक 1 व 3 के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त है और कार्य प्रगति पर है।

(2) परनाला से टिमेडा तथा मद्दुडी से हेजामाल ग्रेवल सड़कें हैं एवं अधूरी नहीं है। टिमेडा से सबलपुरा, उकाला से वसूली, हिम्मतगढ़ से उकाला, सातसेरा से चोरा बड़ा, डूंगरा से जालिमपुरा, वर्तमान में ग्रेवल सड़क विद्यमान है परन्तु कुछ पुलियाओं का निर्माण शेष है।

कोटड़ा से सबलपुरा व कलिजरा से ईटला पर कोई सड़क बनी हुई नहीं है। इन गांवों को आपस में जोड़ना राज्य की सड़क नीति के अन्तर्गत नहीं आता है।

(3) उक्त 9 सड़कों में से कोई सड़क अधूरी नहीं है।

पंजाब ट्यूब वेल निगम में बकाया

46. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1971-72 भू-जल बोर्ड राजस्थान से पंजाब ट्यूब

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

वैल निगम ने नलकूप निर्मित करवाये थे ? यदि हां, तो कितने ? निर्मित नलकूपों में कितने सफल हुए एवं कितने असफल ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंजाब ट्यूब वैल निगम द्वारा अब तक भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कितनी एवं क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त निगम से बकाया भुगतान प्राप्त करने के प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में पंजाब ट्यूब वैल निगम ने विभाग द्वारा किये गये कार्य की कीमत में से राशि काटने हेतु पत्र संख्या 16088 दिनांक 6-4-1981 लिखा था ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस मामले की सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने हेतु श्री कंवर तत्कालीन परियोजना अधिकारी को पत्र लिखे गये थे ? यदि हां, तो किस स्तर से व नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि तत्कालीन परियोजना अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों के स्तर से लिखे गये पत्रों के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रस्तुत किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उच्च अधिकारियों द्वारा श्री कंवर के विरुद्ध नियमानुसार कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार को हो रहे नुकसान जो वर्तमान में पांच गुना तक पहुंच गया है, को वसूल कर उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 139 नलकूप बनाये गये थे। इन 139 नलकूपों में 137 सफल एवं 2 असफल नलकूप बने।

(2) जी हां। पंजाब स्टेट ट्यूब वैल कारपोरेशन ने विभाग का अभी तक रुपये 4,29,788.80 का भुगतान नहीं किया है, क्योंकि निगम ने कुछ टिप्पणी/स्पष्टीकरण चाहे थे।

(3) बकाया भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। पंजाब स्टेट ट्यूब वैल कारपोरेशन ने अपने पत्र क्रमांक 2923 / पी.एस.टी.सी/टी.डब्ल्यू/84 दिनांक 23-5-88 के द्वारा मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग जोधपुर को सूचित कर दिया था कि भुगतान हेतु उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता, चण्डीगढ़ से बिलों का प्री-ऑडिट करवाकर भुगतान के आदेश दिये हैं। भुगतान प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियन्ता एवं राज्य सरकार के स्तर से बराबर लिखा जा रहा है व स्मरण पत्र भी दिये गये हैं।

(4) पंजाब स्टेट ट्यूब वैल कारपोरेशन ने विभाग के बिलों पर विभाग से अपने पत्र दिनांक 6-4-81 द्वारा टिप्पणी/स्पष्टीकरण चाहे थे। ये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् निगम ने इस पत्र में लिखे आइटम का भुगतान देना मान लिया, जैसा कि उनके पत्र क्रमांक 2923 दिनांक 23-5-88 से स्पष्ट है।

(भू-जल मंत्री)

(5) मुख्य अभियन्ता ने पंजाब स्टेट ट्यूब वैल कारपोरेशन के लिए नलकूप निर्माण करने वाले दोनों सहायक अभियन्ता श्री डी.बी. तेहरान एवं श्री एस.एम. कंवर से नलकूप निर्माण का विवरण मांगा था जो उनके द्वारा दे दिया गया था।

(6) पंजाब स्टेट ट्यूब वैल कारपोरेशन के लिए निर्माण करने वाले सहायक अभियन्ता से प्राप्त उत्तर एवं रिकार्ड के आधार पर कारपोरेशन को काटी गई राशि का स्पष्टीकरण भिजवाया गया था। इस आधार पर कारपोरेशन ने देय राशि देना स्वीकार कर लिया चूंकि नलकूप निर्माण में कोई तकनीकी दोष विभाग की गलती से नहीं था, जिसे कारपोरेशन भी मान लिया था अतः किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का मामला नहीं बनता। पंजाब सरकार से वसूली के प्रयत्न अभी भी जारी है।

जिला बूंदी में जारी हथियारों के अनुज्ञा-पत्र

47. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में 1 जनवरी, 1996 से 31 दिसम्बर, 1996 तक रिवाल्वर एवं अन्य हथियारों के लाइसेंस दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस को ? नाम, पता व तारीख सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एक बार रिवाल्वर लाइसेंस बनने के बाद समयावधि (तीन माह) से पूर्व प्रार्थना-पत्र देने पर मियाद बढ़ा दी जाती है ? यदि हां, तो जिला बूंदी में 1-1-96 से 31-12-96 तक समयावधि बढ़ाने के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए एवं कितनों पर निर्णय कब-कब लिया गया ? विवरण मय तारीख के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बूंदी में 1 जनवरी, 1996 31 दिसम्बर, 1996 तक की अवधि में रिवाल्वर/अन्य हथियारों के कुल छः लाइसेंस जारी किये। (सूची परिशिष्ट-"अ" संलग्न है)

(2) एक बार रिवाल्वर/हथियार लाईसेंस बनने के बाद समयावधि तीन माह से पूर्व प्रार्थन-पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.1 (22) गृह 9/91 दिनांक 15-7-92 के अनुसार शस्त्र क्रय अवधि एक बार में तीन माह तक और कुल 12 माह तक की अवधि बढ़ाने के लिए जिला दण्डनायकों को अधिकृत किया गया हैं। बूंदी जिले में दिनांक 1-1-96 से 31-12-1996 तक समयावधि के कुल 8 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए है, पर नियमानुसार आदेश प्रसारित कर निस्तारण किया जा चुका हैं। (सूची परिशिष्ट-"ब" संलग्न है)

(सूची के लिए परिशिष्ट-9 देखें)

आहोर (जालौर) की सड़कों का डामरीकरण

48. श्री भगराज चौधरी (आहोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भगराज चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर की तहसील आहोर की मेटल सडकें मोरड़ा से नीलकण्ठ (जालोर जिले की सीमा तक) और सांडेराव से मोकलसर (कि.मी. 35 से कि. मी. 42.50 तक) का डामरीकरण करने हेतु माह जून, 1992 में स्वीकृति जारी करने के बावजूद अभी तक डामरीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) स्वीकृति के बाद उक्त सड़कों पर किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सम्पर्क सड़कें ग्राम धाणा, पांचोटा, डोडीयाली, सेदरियापावटा, ओडवाड़ा, दयालपुरा, कवराड़ा, वलदरा, देवकी, देचु, भूति के वलदरा, नोसरा के सुगालिया जोधा का डामरीकरण करने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति माह जून, 1995 में दे दिये के बावजूद भी इनका अभी तक डामरीकरण नहीं किये जाने के कारण मेटल सड़क उखड़ जाने से आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है ?

(4) यदि हां, तो इन सड़कों का अभी तक डामरीकरण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक इनका डामरीकरण कर दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि सम्पर्क सड़क वेदाना पर तो अभी तक मेटल ही नहीं बिछाया गया है ? यदि हां, तो मेटल की कुटाई कर कब तक इसका डामरीकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) मोरडा से नीलकण्ठ मार्ग पर मिसिंग भाग 7 किमी. के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा वर्ष 95–96 में 14.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई व स्वीकृत राशि में केवल 4 कि. मी. की मेटल व डामर का कार्य एवं तीन पुलियाओं का कार्य सम्भव हो सका। शेष तीन कि. मी. की लम्बाई में कार्य नहीं हो सका। जिसे आगामी वर्ष की योजना में लिया जाना विचाराधीन है। सांडेराव से मोकलसर पर मेटल सड़क का निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु डामर के अभाव में डामरीकरण नहीं किया जा सका जिसे 96–97 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(2)

	मेटल	सीडी.	राशि खर्च की गई
	(रु. लाखों में)		
(अ) मोरडा से नीलकण्ठ (माह दिसम्बर 96 तक डामर कार्य का भुगतान शेष है	2.57	4.24	6.81
(ब) सांडेराव से मोकलसर 35/0 से 42/500	4.11	—	4.11

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां। यह सही है कि डामर की कमी के कारण वर्ष 1995–96 में सम्पर्क सड़क पांचोटा, सेदरिया पावटा, सम्पर्क सड़क कवराडा, सम्पर्क सड़क वलदरा सम्पर्क सड़क देवकी, सम्पर्क सड़क देचू, भूति से वलधरा, नोसरा से सुगालिया जोधा का डामरीकरण नहीं हुआ परन्तु मेटल सड़क उखड़ी नहीं है, एवं आवागमन में भी कोई कठिनाई नहीं हो रही है। सम्पर्क सड़क ओड़वाडा, दयालपुरा डोडयाली, घाणा पर डामरीकरण कर दिया गया है।

(4) प्रश्न संख्या 3 के पेरा में वर्णित सड़कों में से सम्पर्क सड़क सेदरियापावटा, सम्पर्क सड़क कवराडा, सम्पर्क सड़क वलधरा, सम्पर्क सड़क देवकी, सम्पर्क सड़क देचू, भूति से वलधरा, नोसरा से सुगालिया जोधा पर मेटल कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना में हुआ है। यह योजना वर्ष में अगस्त माह से अक्टूबर माह तक बन्द रहती है। इस कारण मेटल कार्य करने में देरी हुई, अन्य कारण डामर की कमी रही जिसके कारण डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया। अब माह मार्च 97 के अन्त तक सभी सड़कों पर डामरीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

(5) जी हां, यह सही है। इस सड़क पर मेटल सड़क का कार्य कर माह जून 1997 तक डामरीकरण कर दिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध अंकेक्षण आक्षेप

49. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता श्री पी. सी. जैन के विरुद्ध अंकेक्षण आक्षेप लगे थे और उनकी जांच होकर उन्हें दो बार दोषी ठहराया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध गत सत्र में भी मामला उठाने पर उन्हें निलम्बित करने व उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने की घोषणा सरकार द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मुख्य अभियन्ता को अब भी मुख्य अभियन्ता के पद पर ही रखने का विचार रखती है या उनके विरुद्ध कार्यवाही कर अन्यत्र लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भू-जल विभाग के केन्द्रीय भण्डार के वर्ष 87–88 से 91–92 तक के क्रय प्रकरण की जांच हेतु विशेष आडिट कमेटी गठित की गई थी। कमेटी की रिपोर्ट में अंकेक्षण आक्षेप लगाये गये थे। इन आक्षेपों

(भू-जल मंत्री)

के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता से अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट का राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अध्ययन कर अनियमितताओं के लिये दो मुकदमे दर्ज किए हैं।

(2) जी हां। गत सत्र में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार श्री पी. सी. जैन, मुख्य अभियन्ता को दिनांक 15-7-96 को निलम्बित कर दिया गया था तथा राज्य अन्वेषण ब्यूरो से इन प्रकरणों की जांच कराई गई। राज. राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने जो प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 165/96 तथा 168/96 दर्ज की है। निलम्बन आदेश मा. उच्च न्यायालय द्वारा 2-9-96 को निरस्त कर दिया गया। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज मुकदमों के अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् इस सम्बन्ध में उचित निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य पुलिस बल में वृद्धि

50. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा, सशस्त्र पुलिस सेवा तथा राजस्थान पुलिस सेवा के कुल कितने पद वर्तमान में स्वीकृत है तथा स्वीकृत पदों के विपरीत कितने-कितने अधिकारी पदस्थापित हैं ? संवर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में निरन्तर अपराधों एवं आतंकवादी गतिविधियों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य पुलिस प्रशासन द्वारा संसाधनों एवं पुलिस बल में वृद्धि किये जाने की मांग की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य पुलिस प्रशासन की मांग के अनुसार बजट आबंटन नहीं किया जा सका है, यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि भारतीय पुलिस सेवा, सशस्त्र पुलिस सेवा तथा राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के पद लम्बे समय से रिक्त होने से भी अपराधों/आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश/नियन्त्रण पाने में कठिनाई आ रही है ? यदि हां, तो सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के कुल 146 पद स्वीकृत है एवं 1-1-97 को 112 अधिकारी कार्यरत हैं। इसी तरह राजस्थान पुलिस सेवा संवर्ग में कुल 555 पद स्वीकृत हैं एवं 390 अधिकारी दिनांक 1-1-97 को कार्यरत हैं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। पुलिस पुनर्गठन की योजना लागू करी गई है जिसमें पुलिस को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(गृह मन्त्री)

(4) राज्य के उपलब्ध पुलिस अधिकारियों, पुलिस बल, एवं संसाधनों से अपराधों की स्थिति, आतंकवादी गतिविधियों की स्थिति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से नियन्त्रित है। इसके अतिरिक्त भी पुलिस विभाग को अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य करने होते हैं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर शहर में सड़क निर्माण

42. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में नगर निगम जोधपुर द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1996 तक किस-किस स्थान पर डामरीकरण व सीमेन्ट की सड़कों का कार्य करवाया गया तथा प्रत्येक सड़क पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वार्ड अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिस स्थान/सड़क पर सीमेन्ट कंकरीट का कार्य हुआ, वहां के सेम्पल की क्वालिटी कन्ट्रोल से जांच कराई गई? यदि हां, तो कितने सेम्पल जांच कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार वर्ष 1997 में कौन-कौन सी सड़कों का डामरीकरण या सीमेंट कंकरीट कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर नगर निगम द्वारा जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी 94 से 31 दिसम्बर 96 तक जिन–2 वार्डों में डामरीकरण व सीमेंट कार्य करवाया गया है, की सूची मय व्यय की गई राशि एवं वार्ड वाईज सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। शिकायत प्राप्त नहीं हुई निगम द्वारा इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

(3) वर्ष 1997 में डामरीकरण व सीमेंट की सड़कें बनाने के प्रस्ताव का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर परिषद् भीलवाड़ा में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति

43. श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कौन-कौन सी नगर परिषदों में आयुक्त के पद पर प्रशासनिक अधिकारी पदस्थापित है? इनके पदस्थापन के मानदण्ड क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर परिषद् में आयुक्त के पद पर अभी तक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया, यदि हां, तो क्यों? सरकार यहां अब कब तक प्रशासनिक अधिकारी

(श्री रामरिछपाल नुंवाल)

नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जिन-जिन नगर निगमों/नगर परिषदों में आयुक्त के पद पर प्रशासनिक अधिकारी पद स्थापित है, उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

नगर निगम/परिषदों में राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं एवं राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों का विवरण :–

नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं नगर परिषद् अजमेर, ब्यावर, बीकानेर, श्री गंगानगर, उदयपुर, एवं पाली में प्रशासनिक अधिकारी है। एवं अलवर भरतपुर, सीकर एवं टोंक में कार्यवाहक व्यवस्था है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 307 के अनुसार आयुक्त का पद प्रशासनिक होने एवं प्रशासनिक योग्यताधारी अधिकारी को आयुक्त के पद के विरुद्ध लगाया जा सकता है।

(2) जी हां। भीलवाडा नगर परिषद् में आयुक्त के रिक्त पद पर शीघ्र ही पद-स्थापन किया जा रहा है।

नगरपालिका मांगरोल (बारां) की आय

44. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर पालिका मांगरोल जिला बारां में गत 2 वर्षों में विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी-कितनी आय हुई ? श्रेणी वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल आय को किन-किन मदों पर खर्च किया गया ? खर्च की गई राशि का वर्षवार व श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर पालिका मांगरोल में विभिन्न स्रोतों से वर्ष 94–95 में कुल आय रुपये 31,07,981.48 तथा वर्ष 95–96 में कुल आय रुपये 77,69,274.00 हुई है। आय का श्रेणीवार विवरण संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगरपालिका मांगरोल द्वारा विभिन्न मदों पर कुल खर्च वर्ष 94-95 में रुपये 29,42,560.50 तथा वर्ष 95-96 में रुपये 58,06,499.00 हुआ। कुल व्यय का वर्गवार विवरण संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मानसरोवर (जयपुर) में प्रकाश व्यवस्था

45. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर कालोनी के सेक्टर-5 के

(श्री कालूलाल गूजर)

जोन-54 में विकास कार्यों की कड़ी में कतिपय तिराहों-चौराहों में सोडियम लाइटें लगाई गई है ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सोडियम लाइटें लगा तो दी गई लेकिन उनमें से कतिपय लाइटें चालू ही नहीं की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सोडियम लाइट घटिया व खराब लगा दी गई ? विशेषकर आवास संख्या 54/115 व 54/108 व अन्य जिसके कारण नगर निगम द्वारा उनका संधारण नहीं किया जा रहा है ?

(4) क्या मण्डल वहां के निवासियों को रात्रि में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उक्त घटिया व खराब सोडियम लाइटों को बदलने अथवा मरम्मत कराने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। कुल 12 सोडियम लाईट पिछले चार माह में लगाई गई हैं।

(2) यह सही नहीं है। नई लाईटें लगाने के समय सोडियम लाईट चालू स्थिति में थी। समय अन्तराल में विद्युत अवरोध एवं तारों पर कार्बन लगने के कारण लाइटें बन्द होती रहती हैं।

(3) जी, नहीं। एक बार नई लाईटें लगाने के पश्चात् मरम्मत का कार्य नगर निगम द्वारा ही किया जाता है क्योंकि यह सेक्टर उन्हें हस्तान्तरित किया जा चुका है।

(4) सोडियम लाईटें आई. एस. आई. प्रमाणित एवं बिडला कम्पनी की है। रख-रखाव की एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत खराब लाईटें ठीक की जाती हैं।

आवास विकास संस्थान का अंकेक्षण

46. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बिना निविदा के विभिन्न निर्माण कार्य आवास विकास संस्थान के माध्यम से करवाये जाने के आदेश जारी किये हैं ?

(2) यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा कितनी लागत के कौन-कौन से निर्माण कार्य आवास विकास संस्थान को आवंटित किये गये एवं यह आदेश किन नियमों/निर्णयों के तहत जारी किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आवास विकास संस्थान का कोई संविधान बना हुआ है ? यदि हां, तो उसकी प्रति तथा इस संस्था के वैधानिक अस्तित्व के सम्बन्ध में सरकार की टिप्पणी सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस संस्थान द्वारा निर्माण कार्य करवाये जाने के कारण महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा कोई लेखा आक्षेप किया गया है ? यदि हां, तो उन समस्त आक्षेपों की प्रतियां मय विभाग के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) संस्थान को सरकार के विभिन्न विभाग जैसे नगर विकास न्यासों के लिये आवास निर्माण जयपुर नगर निगम के कर्मचारियों के लिये आवास निर्माण, पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये आवास निर्माण, समाज कल्याण विभाग के लिये विभिन्न छात्रावासों को निर्माण कार्य, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कार्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जयपुर/जोधपुर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवास निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सक आवास गृहों का निर्माण कार्य, विभिन्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सांसद कोटे एवं एम. एल. ए. कोटे से आबंटित निर्माण कार्य एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के लिये विभिन्न निर्माण कार्य आबंटित किये गये हैं । निर्माण कार्यों की सूची संलग्न है :— एनेक्चर–ब

(3) संस्थान के मेमोरेडम बाई-लाज, रूल्स एवं रेगुलेशन्स बने हुए हैं । प्रति संलग्न है ।

(4) जी, नहीं ।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में निर्माण कार्यों हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

47. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय पट्टे देने के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आवासीय मकान, दुकान बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाता है ? यदि हां, तो उसके क्या नियम हैं ? विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1995-96 में कितने लोगों ने अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये ? उनमें से कितने लोगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब कब जारी किये गये व अब शेष रहे लोगों को कब तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जायेंगे ? अब तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी न करने के क्या कारण रहे, इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में ग्रामीण क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टे जारी नहीं किये जाते हैं । अतः इस बाबत प्राधिकरण के कोई नियम नहीं बने हैं ।

(2) खातेदारों की कृषि भूमि के आवासीय एवं व्यवसायिक (गैर कृषि)

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

उपयोग हेतु रूपान्तरण हेतु प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है। इसके निम्नांकित मानदण्ड है :—

अ. राजकीय/चारागाह/सिवाय चक भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सहमति नहीं दी जाती है।

ब. प्रश्नगत भूमि के जयपुर विकास प्राधिकरण योजना में आने पर सहमति नहीं दी जाती है।

स. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि के अवाप्ति में होने पर सहमति नहीं दी जाती है।

द. उपरोक्त के अलावा यदि प्रश्नगत भूमि ग्राम/उप नगर के विस्तार के अनुरूप नहीं होती है तो सहमति नहीं दी जाती है।

ई. वर्ष 1995-96 में बस्सी विधान सभा क्षेत्र से किसी ने भी अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये।

वन विहार योजना (जयपुर) की क्षतिग्रस्त पाइप लाइन

48. श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन विहार योजना, आवासन मण्डल, जयपुर में प्लेट संख्या : 2/3 के पीछे पानी की पाइप लाइन टूटी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नागरिकों द्वारा ध्यानाकर्षण के उपरांत इस लीकेज को पूर्व में भी ठीक करवाया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त लीकेज के दुरुस्त करवाने के दो दिन पश्चात् पाइप लाइन में पुनः लीकेज हो गया ?

(4) पीने की पाइप लाइन पर लीकेज की सूचना देने हेतु वहां नियुक्त विभाग के कर्मचारियों में से क्या किसी कर्मचारी की भी जिम्मेदारी है ? यदि हां, तो क्या संबंधित कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई ? यदि हां, तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या सरकार इस लीकेज के कारण बेकार जा रहे पानी की रोक और पानी के अपव्यय पर नियन्त्रण की दृष्टि से इस लीकेज को स्थायी रूप से ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। उपभोक्ता की सर्विस लाइन में लीकेज थी।

(2) जी, हां। पूर्व में भी इसी सर्विस लाइन में हुई लीकेज को ठीक करवाया गया था इस क्षेत्र से प्रदूषण पेयजल वितरण की शिकायत को ध्यान में रखते हुए इस लीकेज को प्रदूषण का सम्भावित कारण मानते हुए ठीक करवाया गया था।

(3) जी, नहीं। इसकी जानकारी विभाग को नहीं थी।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

(4) जी हां, विभाग की वितरण लाईनों में लीकेज की सूचना देने हेतु विभागीय कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। उपभोक्ता की सर्विस लाइन में होने वाली लीकेज को ठीक करवाने हेतु उपभोक्ता स्वयं ही जिम्मेदार होता है क्योंकि प्रश्न में वर्णित लीकेज उपभोक्ता की सर्विस लाइन से सम्बन्धित है, उसकी विभाग को सूचना देने अथवा उसे ठीक करवाने हेतु उपभोक्ता ही जिम्मेदार है।

(5) जी हां, विभाग द्वारा किसी भी लीकेज की मरम्मत स्थायी रूप से ही समझकर की जाती है, लेकिन ऐसी लाइन में पुनः लीकेज होना विभिन्न कारणों से सम्भव है। प्रश्न में वर्णित लीकेज को ठीक करवाना जो कि उपभोक्ता की जिम्मेदारी थी, उसे विभाग ने सम्भावित प्रदूषण के खतरे को ध्यान में रखते हुए दिनांक 16-1-97 को ठीक करवा दिया है।

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में हैण्डपम्प

49. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नीति निर्धारण के अन्तर्गत सभी ग्रामीण विद्यालयों में हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या लालसोट तहसील के ग्राम खटवा के विद्यालय में हैण्डपम्प स्वीकृत हैं ? यदि नहीं, तो सरकार वहां हैण्डपम्प कब तक लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, नहीं। सरकार की नीति के अन्तर्गत जिन राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 100 मीटर की दूरी पर पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर विद्यालय के पास तकनीकी उपयुक्तता के अनुरूप हैण्डपम्प लगाया जाना प्रस्तावित है लालसोट के ग्राम खटवा के उच्च प्राथमिक विद्यालय के समीप एक हैण्डपम्प कार्यरत है फिर भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विद्यालय के लिये एक हैण्डपम्प 10-1-97 को स्वीकृत किया गया है जिसे शीघ्र लगाने के प्रयास हैं।

तहसील डेगाना की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं

50. श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील डेगाना में वर्तमान में कुल कितनी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें कार्यरत हैं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जलप्रदाय योजनाओं में से अधिकांश पर पेयजल वितरण सामान्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मोगास (डेगाना) से जुड़े गांवों में पेयजल वितरण पिछले तीन चार महीनों से नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त गांवों में नियमित पेयजल वितरण कब तक हो सकेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में तहसील डेगाना में 31 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं कार्यरत हैं, योजनाओं की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं की अन्तिम छोर के गांवों में विद्युत आपूर्ति की कमी के समय पेयजल वितरण में समस्या उत्पन्न हो जाती है।

(3) जी, नहीं। क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मोगास (डेगाना) से जुड़े अन्तिम छोर के तीन ग्राम-खातोलाई, जोधरास, अलवास में विद्युत आपूर्ति की कमी के कारण लगभग गत तीन माह से पेयजल आंशिक रूप से उपलब्ध हो पाता है।

विद्युत आपूर्ति की कमी को दूर करने हेतु विभाग द्वारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को डाईरेक्ट फीडर लगाने हेतु 8.92 लाख रुपये जमा करवा दिये हैं। डायरेक्ट फीडर का कार्य होने के पश्चात् समुचित विद्युत आपूर्ति होने पर नियमित पेयजल वितरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं की पनघट व जलदाय योजनाएं

51. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसी गांव में पनघट योजना और जलदाय योजना लागू करने के मानदण्ड सरकार ने निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बेगूं में बेगूं पंचायत समिति और भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में कौन-कौन से गांव उक्त मानदण्डों के अन्तर्गत आते हैं ? क्या इन गांवों की स्कीमें सरकार के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो गांव का नाम, योजना, प्रस्तावित राशि आदि की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन सी योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है ? उनके नाम, स्थान, स्वीकृत राशि पूर्ण होने की अवधि आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बेगूं में पंचायत समिति बेगूं व भैंसरोडगढ़ में संलग्न परिशिष्ट-"क" व "ख" उल्लेखित ग्राम उक्त मानदण्डों के अन्तर्गत आते हैं। इन ग्रामों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तथा चाही गई सूचना परिशिष्ट-"क" व 'ख" पर है।

(2) सूचना परिशिष्ट-"क" व "ख" पर है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के तहसील मुख्यालयों पर स्टेडियम

52. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान

(श्री भीमसेन चौधरी)

क्रीडा परिषद् ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालयों लूणकरणसर, खाजूवाला में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु स्टेडियम निर्माण हेतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि कस्बा लूणकरणसर व मण्डी खाजूवाला में स्टेडियम निर्माण हेतु लम्बे अरसे से मांग चली आ रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु परिषद द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत समिति स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पंचायत समिति स्तर की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण खिलाड़ियों का चयन कर विभिन्न खेलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती है।

इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही ग्रामीण खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाता है।

(2) लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय लूणकरणसर एवं खाजूवाला में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये स्टेडियम निर्माण हेतु अभी तक कोई प्रस्ताव किसी भी संस्था के माध्यम से खेल परिषद को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) कस्बा लूणकरणसर एवं मण्डी खाजूवाला में स्टेडियम निर्माण करवाये जाने हेतु कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। मांग प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा।

जिला धौलपुर का रायल्टी प्रकरण

53. श्री दलजीतसिंह (बाड़ी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले में विभाग द्वारा वर्ष वर्ष 1995–96 में 94.58 लाख रुपयों एवं वर्ष 1996–97 में 22.93 लाख रुपये रायल्टी एवं एक्सेस रायल्टी से वसूल किये गये ? यदि नहीं, तो कितनी-कितनी राशी वसूल की गई ?

(2) उक्त राशि के सम्बन्ध में पट्टेधारियों के नाम एवं प्राप्त राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन पट्टेधारियों/दुकानदारों व फैक्ट्री मालिकों ने खनिज पर पहले ही रायल्टी दे दी हो, क्या सरकार उनसे दुबारा रायल्टी वसूल कर सकती है ? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध रायल्टी वसूली को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दुबारा वसूल की गई राशि को मय ब्याज के वापस करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या जनाधिकृत खनिज से दस गुना रायल्टी वसूल करने के लिए विभागीय अधिकारी / कर्मचारी को किस नाके पर नियुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो पट्टेधारियों से अधिक अधिशुल्क वसूल करने

(श्री दलजीतसिंह)

वाले ठेकेदारों को विभाग ने अधिकार दिया है कि पट्टेधारी व बिना पट्टेधारी से एक समान रायल्टी वसूल करें ? यदि नहीं, तो किस कानून के अन्तर्गत यह ठेकेदार एक समान रायल्टी 30 रुपये एवं 45 रुपये प्रति टन वसूल कर रहा है ।

उत्तर

(1) जी हां । खनन पट्टा पर स्थिर भाटक एवं रायल्टी से वर्ष 1995–96 में 94.58 लाख एवं वर्ष 1996–97 में दिसम्बर, 96 तक 97.12 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) जी नहीं । खनिज निकासी पर एक बार ही रायल्टी वसूल की जाती है । चूंकि नियम विरुद्ध कोई रायल्टी वसूल नहीं की जा रही है, इसलिए कोई राशि वापस करने का प्रश्न नहीं है ।

(4) जी नहीं । राजस्व प्राप्ति को ध्यान में रखा जाकर राज्य सरकार ने आदेश दि. 3-12-94 से यह निर्णय लिया कि धौलपुर क्षेत्र के अन्तर्गत बाड़ी, बसेड़ी आदि क्षेत्रों से खनिज सैण्डस्टोन के गुजरने वाले वाहन जो कोई विभागीय रवन्ना नहीं रखते हो अथवा जो वाहन रवन्ना द्वारा खनिज सत्यापन नहीं करा पाये उनसे नाके पर एक गुणा रायल्टी नकद वसूल की जावेगी । इसी आदेश के अन्तर्गत अधिक अधिशुल्क वसूल करने वाले ठेकेदारों द्वारा रायल्टी वसूल की जा रही है ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बन्द खानों का पुर्नसंचालन प्रकरण

54. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में राज्य में किन-किन क्षेत्रों में कितनी-कितनी खानें बन्द कर दी गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त खानों को पुनः चालू करने की कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) उक्त खानें बन्द होने से खनिज विभाग को होने वाली आय में कितनी कमी किस-किस क्षेत्र से आयी है ?

उत्तर

(1) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में जो खाने बन्द कर दी गई हैं, उनका क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न है । (परिशिष्ट-"अ")

(2) जी हां । राज्य सरकार द्वारा उक्त खानों को पुनः चालू करवाने की दृष्टि से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक पट्टाधारी से आवश्यक प्रपत्र तैयार करवा कर वन विभाग के माध्यम से केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

(3) उक्त खानों के बन्द होने से विभाग की लगभग तैंतालीस करोड़ रुपये की आय

(खनिज मंत्री)

की हानि होने की आशंका। खण्ड/उपखण्ड-वार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-"ब")

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जयपुर का गुर्दा प्रत्यारोपण प्रकरण

55. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले दर्ज हुये थे, जिसमें डाक्टरों सहित कुछ लोग गिरफ्तार भी किये गये थे ? यदि हां, तो कब कौन-कौन से मामले तथा उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या इन मामलों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन के खिलाफ कब-कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) अब इनमें क्या कार्यवाही करनी शेष है जो कब तक की जा सकेगी ? कार्यवाही में इतनी लम्बी अवधि लगने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर में गुर्दा प्रत्यारोपण के निम्न अभियोग दर्ज हुए थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

(क) अभियोग सं. 664/95 दिनांक 20-11-95 अन्तर्गत धारा 420, 120 बी आदस थाना सोडाला जिला-जयपुर शहर में निम्नलिखित डाक्टरों की गिरफ्तारी हुई है :–

1. श्री बसंत फड़िया	गिरफ्तारी दिनांक	21-11-95
2. ,, संतोष उर्फ सन्नी	,, ,,	,, ,,
3. ,, अरूण फोफलिया	,, ,,	29-11-95
4. सुरेश गुप्ता	,, ,,	,, ,,

(ख) अभियोग सं.673/95 दि. 23-11-95 अन्तर्गत धारा 326, 328, 120 बी. आदस थाना सोडाला जिला जयपुर शहर में निम्नलिखित डाक्टरों की गिरफ्तारी हुई है :–

1. श्री सुरेश गुप्ता	गिरफ्तार	दिनांक 23-11-95
2. ,, अरूण फोफलिया	,, ,,	,, ,,
3. ,, संतोष उर्फ सन्नी	,, ,,	29-11-95
4. ,, बसन्त	,, ,,	,, ,,

(ग) अभियोग सं. 659/95 दि.18-11-95 अन्तर्गत धारा 307, 326, 325, 420, 120 बी. आदस थाना सोडाला जिला जयपुर शहर में अब तक के अनुसंधान से अभी तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

(घ) अभियोग सं. 667/95 दि.21-11-95 अन्तर्गत धारा 7/14 फोरेनर्स एक्ट

(गृह मंत्री).

1946 पुलिस थाना सोडाला जिला जयपुर शहर में भी अब तक के अनुसंधान से किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

अभियोग सं, 346/95 दि.24-11-95 अन्तर्गत धारा 201, 214, 120 बी. भादस थाना मोती डूंगरी जिला जयपुर शहर में भी अब तक के अनुसंधान से किसी भी अभियुक्त का पता नहीं चल पाया है। जिसकी तलाश जारी है।

(2) जी, नहीं। प्रकरण अन्वेषणाधीन है। जिन विदेशियों के गुर्दा प्रत्यारोपित किये गये उनको सूचना सम्बन्धित देशों से प्राप्त नहीं हुई है तथा गिरफ्तार उपरोक्त चारों अभियुक्त द्वारा तफ्तीश में सहयोग नहीं दिया गया व चारों ही बाद जमानत जयपुर से फरार हैं।

(3) इन प्रकरणों में जिन विदेशियों के गुर्दा प्रत्यारोपित किये गये उनकी सूचना सम्बन्धित देशों से प्राप्त नहीं हुई है, इस सम्बन्ध में पत्राचार जारी है? इसके अतिरिक्त शेष मुलजिमान की गिरफ्तारी शेष है। मगर उपरोक्त चारों मुलजिमान बाद जमानत जयपुर से फरार हैं। इन अभियुक्तों की जमानत खारिज करने हेतु न्यायालय में प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

सदर थाना पाली में दर्ज प्रकरण

56. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के सदर थाना में सी. आर. नं. 131/96 के अन्तर्गत कोई मुकदमा दर्ज किया गया था? यदि हां, तो यह मुकदमा किन-किन धाराओं में किस-किस के विरुद्ध दर्ज किया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मुकदमे में किसी लड़की का डाक्टरी मुआयना बांगड़ अस्पताल पाली में करवाया गया? यदि हां, तो उस लड़की की मेडीकल रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? मेडिकल रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि थानाधिकारी सदर थाना, पाली ने मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के पूर्व ही उक्त लड़की को अदालत में पेश करवा कर उसके बयान करवा दिये थे? यदि हां, तो अदालत में बयान कब करवाये गये?

(4) क्या यह सही है कि अदालत में बयान करवाने की दिनांक को उक्त लड़की डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग थी? यदि हां, तो किस आधार पर उक्त लड़की को उसके मां-बाप को सुपुर्द करने के बजाय मुल्जिमों को सुपुर्द कर दिया गया।

(5) क्या यह सही है कि मुल्जिमों को फायदा पहुंचाने की नियत से उक्त लड़की का जोधपुर के किसी निजी चिकित्सक द्वारा मेडिकल मुआयना करवाया गया? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त लड़की को मुल्जिमों को सुपुर्द करने की बजाय उसका मेडिकल बोर्ड

(श्री भीमराज भाटी)

बिठाकर मुआयना करवाया जाना चाहिये था ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) सरकार उक्त नाबालिग लड़की को उसके मां-बाप को सुपुर्द करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि पाली जिले के थाना सदर में दिनांक 19-10-96 को श्री लुम्बाराम की लिखित रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 131 दि. 19-10-96 धारा 366 भादंसं में श्री भीमाराम सीरवी निवासी भीमसिंह का गुढा के विरुद्ध दर्ज कराया गया है।.

(2) उक्त अभियोग के अनुसंधान में थानाधिकारी, थाना सदर, पाली ने बांगड अस्पताल पाली में श्रीमती झमकू का आयु बाबत मेडकिल करवाया गया था। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 20-11-96 को प्राप्त हुई। मेडकिल रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) थानाधिकारी सदर पाली द्वारा श्रीमती झमकू का उम्र का मेडिकल मुआयना दिनांक 16-11-96 को करवाया गया था। परन्तु उस दिन मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। श्रीमती झमकू द्वारा अपनी उम्र पुलिस व अदालत में दिये गये बयानों में 20 वर्ष बताने एवं गवाहान द्वारा भी झमकू की उम्र 20 वर्ष बताने पर दिनांक 16-11-96 को ही श्रीमती झमकू को ए. सी. जे. एम. साहब संख्या 1 पाली की अदालत में पेश कर धारा 164 जा. फो. के तहत बयान करवाये गये।

(4) श्रीमती झमकू की मेडिकल रिपोर्ट दिनांक 20-11-96 को थाना सदर पर प्राप्त हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार झमकू की उम्र साढे सोलह वर्ष से ज्यादा किन्तु 18 वर्ष से कम बताई थी। मगर श्रीमती झमकू को इस प्रकरण में गवाह थी उसने ए. सी. जे. एम. कोर्ट नं. 1 पाली एवं पुलिस के समक्ष दिये बयानों में अपनी उम्र 20 वर्ष बताई थी तथा गवाहान श्रीमती पेपी व लड़की के पिता श्री देवीराम ने भी झमकू की उम्र 20 वर्ष बताई थी। बयान धारा 164 जा. फो. में भी श्रीमती झमकू ने भीमाराम सीरवी के साथ जाने की एवं अपने मां-बाप के पास पीहर नहीं जाने की इच्छा प्रकट की। इसी आधार पर थानाधिकारी सदर ने झमकू को वयस्क मानते हुए स्वतन्त्र छोड़ दिया। किसी पक्ष विशेष को सुपुर्द नहीं की गई। बाद में झमकू स्वयं दिनांक 21-12-96 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई तथा माननीय मजिस्ट्रेट ने झमकू को वयस्क मानते हुए उसे इच्छा अनुसार कहीं भी जाने हेतु स्वतन्त्र किया।

(5) यह सही नहीं है कि पुलिस ने मुलजिमों को फायदा पहुंचाने की नियत से श्रीमती झमकू का जोधपुर के किसी निजी चिकित्सक से आयु का मेडीकल मुआयना करवाया गया हो। बल्कि थानाधिकारी सदर द्वारा झमकू को दिनांक 16-11-96 को स्वतन्त्र छोड़ने के बाद दि. 20-11-96 को बांगड चिकित्सालय, पाली से रिपोर्ट

(गृह मंत्री)

प्राप्त हुई जिसमें झमकू की उम्र साढे सोलह वर्ष से अधिक किन्तु 18 वर्ष से कम बताई गई। जिस आधार पर श्रीमती झमकू को पुनः तफतीश हेतु तलब करने के प्रयास किये गये। इसी दौरान दिनांक 4-12-96 को स्वयं झमकू ने एम. जी. अस्पताल जोधपुर के मेडिकल ज्युरिस्ट से अपने स्तर पर अपनी उम्र का मुआयना करवाया। जिस रिपोर्ट में मेडिकल ज्युरिस्ट जोधपुर ने झमकू की उम्र 18 से 20 वर्ष होना बताया। यह रिपोर्ट झमकू ने पुलिस को पेश नहीं की, बल्कि सीधे ही न्यायालय में दिनांक 21-12-96 को पेश की। मेडिकल ज्युरिस्ट, जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त की है। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'ख" संलग्न है।

(6) दिनांक 21-12-96 को श्रीमती झमकू श्रीमान ए. सी. जे. एम. साहब नं. 2 पाली की अदालत में पेश हुई और जोधपुर के मेडिकल ज्युरिस्ट की मेडिकल रिपोर्ट जो स्वयं ने अपने स्तर पर करवाई थी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर मान. मजिस्ट्रेट ने धारा 98 जा. फो. के तहत आदेश करते हुए बांगड अस्पताल पाली के चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताई गई उम्र 18 वर्ष को मारजीनल माना एवं जोधपुर के मेडिकल ज्युरिस्ट को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी मानते हुए उसकी रिपोर्ट को अधिक विश्वसनीय माना। माननीय मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में अंकित किया कि गवाह झमकू ने न्यायालय व पुलिस के समक्ष बयानों में अपनी उम्र 20 वर्ष बताई है और इस आधार पर न्यायालय ने माना कि झमकू ने युक्ति-युक्ति निर्णय करने की क्षमता हासिल कर ली है। अतः झमकू अपनी इच्छा से जिसके साथ जाना चाहे जाने के लिए स्वतन्त्र है। इस प्रकार झमकू को पुलिस ने किसी के सुपुर्द नहीं किया, न्यायालय ने अपने आदेश से उसे स्वतन्त्र किया है और न्यायालय आदेश के बाद मेडिकल बोर्ड से मुआयना कराने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

(7) दि. 21-12-96 को माननीय ए. सी. जे. एम. नं. 2 पाली ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रार्थीनी झमकू पत्नि भीमाराम सीरवी नि. भीमसिंह का गुढा अपनी इच्छा से जिसके साथ जाने को चाहे जाने के लिए स्वतन्त्र होने का आदेश दिया जाता है। झमकू ने पहिले भी अपने 164 जा. फो. के बयानों में भीमराज के साथ ही जाने की इच्छा प्रकट की थी। झमकू इस प्रकरण में वयस्क गवाह है जिसे कानूनन उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी को सुपुर्द नहीं किया जा सकता है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शाहजहांपुर-बहरोड के मध्य अवैध पेड़ कटाई प्रकरण

57. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शाहजहांपुर और बहरोड के बीच नीमराना के पास अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पेड़ काटने से रेखा सहगल, अनिल सहगल एवं लक्ष्मी आसवानी जीप के ऊपर पेड़ गिरने के कारण घायल हो गये, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन था

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

तथा उसके कौन-कौन आदमी उन पेड़ों को काट रहे थे ?

(2) क्या उक्त व्यक्ति/ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि दिनांक 29-12-95 को शाहजहांपुर व बहरोड के बीच नीमराना मोड़ के पास अनाधिकृत रूप से पेड़ काटने से रेखा सहगल, अनिल सहगल व लक्ष्मी आसवानी जीप के ऊपर पेड़ गिरने से घायल हो गये तथा जीप क्षतिग्रस्त हुई थी। इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 198/96 धारा 337, 427 भा. द. स. थाना शाहजहांपुर जिला अलवर में दर्ज हुआ था। पेड़ काटने वाले व्यक्ति श्री दुलीचन्द पुत्र प्रहलाद यादव व रामेश्वर पुत्र मामराज निवासी काली पहाड़ी के थे।

(2) उपरोक्त पेड़ काटने वाले अभियुक्तों श्री दुली चन्द पुत्र प्रहलाद यादव, निवासी ढाणी नीमराना व श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री मामराज निवासी काली पहाड़ी शाहजहांपुर जिला अलवर को दिनांक 10-1-97 को गिरफ्तार किया गया। इस प्रश्न में कोई ठेकेदार शामिल नहीं था। गिरफ्तार किये गये दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में शीघ्र चालान पेश किया जावेगा।

थाना पुरानी टोंक में दर्ज प्रकरण संख्या 95/96

58. श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुरानी टोंक थानान्तर्गत एफ. आई. आर. संख्या 95/96 दर्ज की गई है ? यदि हां, तो किन-किन धाराओं के तहत ? एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इसमें किन-किन व्यक्तियों को नामजद/आरोपित किया गया ?

(3) नामजद व्यक्तियों में से किन-किन को अब तक पुलिस द्वारा पकड़ा गया ? कौन-कौन व्यक्ति पकड़े जाने शेष हैं ? इन्हें कब तक पकड़ लिया जावेगा।

(4) नामजद शेष व्यक्तियों के अब तक नहीं पकड़े जाने के क्या कारण रहे ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना पुरानी टोंक में अभियोग संख्या 95/96 दि. 26-6-96 अन्तर्गत धारा 307,34,020 बी भा. द. सं. दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) प्रथम सूचना रिपोर्ट में सर्व श्री मूशा, साजिद, ईशा व इलियाश कुल 4 व्यक्तियों को नामजद/आरोपित किया गया।

(3) नामजद व्यक्तियों में से अभियुक्त मूशा उर्फ मुसंलीन पुत्र मो. अतीख को दि. 29-9-96 को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अभियुक्त शाजिद की मृत्यु हो चुकी है। एवं अभियुक्त गण ईशा एवं इलियाश

(गृह मंत्री)

पुत्रगण मुसलिन अभी तक पकड़े नहीं गये हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिये न्यायालय से वारण्ट जारी करवाये जा चुके हैं। और गिरफ्तारी के निरन्तर प्रयास जारी है।

(4) मुलजिम ईशा व इलियाश दोनों ही बाद वारदात अपने घरों से रूपोश हो जाने के कारण काफी प्रयासों के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो पाये हैं जिनकी गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयत्न किये गये हैं। इन दोनों अभियुक्तगणं की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने बाबत कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

निवाई (टोंक) एवं झोटवाड़ा (जयपुर) थानों की विवादास्पद भूमि

59. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला टोंक के थाना निवाई के वर्तमान भूमि एवं भवन के स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान थाना भवन से पूर्व थाना स्थल पर कोई निर्माण था ? यदि हां, तो कितने कमरे बने हुए थे ? तत्समय का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान थाने के भवन का निर्माण कितने चरणों में किया गया ?

(4) प्रत्येक चरण में कुल कितना बजट स्वीकृत हुआ तथा कितना व्यय हुआ ? विवरण मय नक्शा, स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला जयपुर शहर के थाना झोटवाड़ा के भूमि के स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति मय नक्शा के सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त थानों का निर्माण भूमि स्वामित्व या बजट स्वीकृति के अभाव में किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं और सरकार उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व क्या ?

(7) क्या सरकार कोई समिति गठित कर राज्य स्तर पर सभी थानों के भूमि स्वामित्व सम्बन्धी व बजट के अभाव में उनके निर्माण के सम्बन्ध में व्यय राशि के स्रोतों की जांच करवाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना निवाई की भूमि स्टेट टाइम से ही पुलिस के कब्जे में है, जिसका स्वामित्व का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

(2) पुलिस थाना निवाई की स्थापना के समय चार कमरे एवं एक बरामदा बना हुआ था, थाने की स्थापना के समय का नक्शा उपलब्ध नहीं है।

(3) वर्तमान पुलिस थाना निवाई के भवन का निर्माण वर्ष 1971 से 1996 तक कुल 10 चरणों में पूरा किया गया।

(गृह मंत्री)

(4) पुलिस थाना निवाई का निर्माण वर्ष 1971 से 1996 तक 10 चरणों में किया गया जिसके अन्तर्गत विभिन्न चरणों में कुल 49700 रुपये का लघु बजट स्वीकृत किया गया, जिसमें से सभी स्वीकृत शुदा बजट खर्च कर दिया गया है। वर्ष 1991-92 में जन सहयोग से रू. 70,000/- एकत्रित कर थानाधिकारी का कार्यालय व एक बरामदा का निर्माण करवाया गया है, इस प्रकार जन सहयोग एवं स्वीकृत शुदा बजट से कुल प्राप्त रुपये 1,19,700/- का निर्माण कार्य करवाया गया है। पुलिस थाना निवाई में करवाए गए नए निर्माण में थानाधिकारी का कार्यालय, एक बरामदा एवं 3 कमरे शामिल हैं। स्वीकृत शुदा बजट का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	वर्ष	आवंटित बजट	
1.	1971-72	300-00/-रुपये	
2.	1977-78	500-00/- ,,	
3.	1979-80	1000-00/- ,,	
4.	1980-81	2000-00/- ,,	
5.	1985-86	6000-00/- ,,	} 7400/-रू.
6.	1986-87	1400-00/- ,,	
7.	1988-89	9000-00/- ,,	
8.	1989-90	1500-00/- ,,	
9.	1992-93	5000-00/- ,,	
10.	1993-94	10000-00/- ,,	
11.	1996-97	13000-00/- ,,	

पुलिस थाना निवाई का नक्शा स्वीकृत शुदा नहीं है। वर्तमान थाना भवन का नक्शा परिशिष्ट "क' संलग्न है।

(5) जिला जयपुर शहर के पुलिस थाना झोटवाड़ा ख. नं. 1059 कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा है, जिसमें से 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर वर्ष 1976 से थाना झोटवाड़ा स्थापित है, उक्त ख. नं. 1059 कुल 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि वन विभाग की खातेदारी में है। उक्त भूमि का वन विभाग की खातेदारी से सम्बन्धित दस्तावेज परिशिष्ट "ख" एवं भूमि का नक्शा परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(6) पुलिस थाना झोटवाड़ा वर्ष 1976 में पूर्व में स्थापित पुलिस चौकी झोटवाड़ा को क्रमोन्नत कर स्थापित किया गया है। वर्ष 1976 से पूर्व में उक्त पुलिस चौकी ख. नं. 1059 भूमि जो कि वन विभाग की भूमि है, पर स्थापित थी। जो वन विभाग के रिहायशी क्वार्टरों में ही चल रही थी। वन विभाग एवं जनता की मौखिक सहमति पर उक्त थाना इन क्वार्टरों में खोला जाकर जन सहयोग से थानाधिकारी का कार्यालय बैरक एवं हवालात का निर्माण करवाया गया। थाना झोटवाड़ा के लिए उक्त भूमि ख. नं. 1059 में से 2 बीघा 12 बिस्वा

(गृह मंत्री)

भूमि को आबंटित करवाने के लिए कार्यवाही चल रही है ।

(7) जी, नहीं ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला सवाईमाधोपुर का केरोसिन तेल प्रकरण

60. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1995-96 में कितना केरोसिन तेल आबंटित किया गया ? आबंटित तेल का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर को केरोसिन वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) तहसील नादोती एवं टोडाभीम में कितना–कितना केरोसिन उक्त अवधि में आबंटित किया गया ? पंचायतवार आवंटन का विवरण सदन को मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर की वर्ष 1995–96 में आबंटित किये गये केरोसिन तेल का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी, हां । जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर को वर्ष 95–96 में केरोसिन से सम्बन्धित 64 शिकायतें मिली है । शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) तहसील नांदोती एवं टोडाभीम में वर्ष 1995–96 में आबंटित केरोसिन का पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला जयपुर एवं सवाईमाधोपुर के डीजल बेरल प्वाइंट प्रकरण

61. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष खाद्य विभाग द्वारा बेरोजगार युवकों से डीजल बेरल प्वाइंट चलाने हेतु आवेदन भरवाकर साक्षात्कार लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उन साक्षात्कार दाताओं का डीजल प्वाइंट हेतु चयन कर लिया गया ? यदि हां, तो जिला जयपुर एवं सवाईमाधोपुर में कहां–कहां, किन–किन का चयन किया गया ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार ने उक्त चयनित व्यक्तियों को डीजल बेरल प्वाइंट चालू करवा दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के सभी जिलों के बैरल प्वाइंट हेतु आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार लिये जा चुके हैं। जयपुर एवं सवाईमाधोपुर में जिन-जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है, की नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) छह चयनित व्यक्तियों को बैरल प्वाइंट चालू करने हेतु लाइसेन्स जारी किए जा चुके हैं। शेष चयनित व्यक्तियों को चयन पत्र प्रेषित कर आवश्यक शर्तों की पूर्ति हेतु लिखा गया है। शर्तों की पूर्ति कराकर लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आहोर (जालोर) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकरण

62. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले के आहोर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे एवं ई. सी. जी. मशीन जब से प्राप्त हुई है तब से अभी तक बन्द पड़ी है ?

(2) यदि हां, तो ये मशीनें कब प्राप्त हुई थीं और इनके अब तक बन्द पड़ी रहने के क्या कारण हैं ?

(3) अब इन मशीनों को कब तक चालू करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। केवल एक्स-रे मशीन चालू नहीं हो पाई है, ई. सी. जी. मशीन चालू हालत में है।

(2) एक्स-रे मशीन 29-6-95 को प्राप्त हुई थी। डार्करूम निर्माणधीन होने के फलस्वरूप मशीन चालू करना सम्भव नहीं हो सका।

(3) ई. सी. जी. मशीन 15-7-95 को प्राप्त हुई एवं चालू है। एक्स-रे मशीन के लिये डार्करूम निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मशीन स्थापित करने की प्रक्रियाधीन है।

जयपुर के चिकित्सालयों में कार्यरत टेलीफोन आपरेटरों के चयनित वेतनमान प्रकरण

63. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर द्वारा माह जून, 1987 में टेलीफोन आपरेटरों के रिक्त पदों पर किन-किन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई ?

(2) क्या इनमें से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो टेलीफोन आपरेटर के पद पर अपना कार्यभार सम्भालने की तिथि से निरन्तर उक्त पद पर ही कार्यरत हैं तथा उन्हें 9 वर्ष की अवधि हो जाने के उपरान्त भी चयनित

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में अभी आदेश जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) किन–किन कर्मचारियों द्वारा चयनित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में किस–किस तिथि को आवेदन एवं स्मरण पत्र प्रेषित किये गये ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब-कब व क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि इसके अनुरूप ही अन्य मामले में निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक ई–18/एम./च. वे. श्र./95/25 दिनांक 25-5-1995 में क्रम संख्या 16 के द्वारा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में उक्त पद पर कार्यरत कर्मी को चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है, साथ ही इसके अनुरूप जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर में उक्त पद पर कार्यरत कर्मचारियों को भी चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया हैं ?

(5) क्या यह सही है कि अभी भी कई टेलीफोन आपरेटरों को उक्त लाभ नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो शेष रहे कर्मियों को चयनित वेतनमान के आदेश जारी करने में हुए विलम्ब के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? सरकार न्यायहित में कब तक आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) माह जून, 87 में महिला चिकित्सालय, जयपुर में टेलीफोन आपरेटरों के रिक्त पदों पर श्री सरस्वती चन्द्र जाटवा, कु. रजिया साहिन एवं श्रीमति अनिता ओबेराय को नियुक्ति दी गयी थी ।

(2) उक्त तीनों आपरेटर्स उनके नामों के सम्मुख अंकित कार्यग्रहण तिथि से निरन्तर कार्यरत हैं :—

1.	श्रीमती अनिता ओबेराय	3-6-87
2.	कु. रजिया साहिन	5-6-87
3.	श्री सरस्वती चन्द जाटवा	8-6-87

इनके प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(3) कार्यरत निम्न तीन टेलीफोन आपरेटरों द्वारा प्रस्तुत आवेदन व स्मरण पत्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

टेलीफोन आपरेटर का नाम	आवेदन तिथि	स्मरण पत्र तिथि
श्री सरस्वती चन्द्र जाटवा	27-5-96	26-10-96
कु. रजिया साहनी	27-5-96	26-10-96
श्रीमती अनिता ओबेराय	25-6-96	26-10-96

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(4) निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/च. श्रे. क./95/25 दिनांक 25-5-95 की प्रति संलग्न है । जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर में कार्यरत सुश्री नीना गुप्ता को चयनित वेतन स्वीकृत किया गया है ।

(5) उक्त प्रकरणों में त्वरित गति से नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

राजकीय चिकित्सालय बून्दी की सोनोग्राफी मशीन

64. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी राजकीय चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन लगाई गई है ? यदि हां, तो इस मशीन को लगाने में किन-किन लोगों ने जन सहयोग से कितनी-कितनी राशि एकत्रित कर सरकार को दी एवं सरकार द्वारा कितनी राशि जिलाधीश, बून्दी को दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस हेतु पंचायतों व पंचायत समितियों ने कोई योगदान दिया है ? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो इस हेतु किस-किस पंचायत द्वारा कितने-कितने विज्ञापन दिये गये ? विज्ञापनों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, सोनोग्राफी मशीन नगर सहभागी योजना के अन्तर्गत लगाई गई है। इसके निमित जन सहयोग से एकत्रित राशि महावीर इन्टरनेशनल संस्था द्वारा 3.19 लाख रुपये जमा करवाई गई एवं मेचिंग ग्रांट के रूप में 3.19 लाख रुपये की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बून्दी ने स्वीकृत की।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

महिला ए. एन. एम. को गृह जिले में नियुक्ति

65. **श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किसी भी महिला ए. एन. एम. को अपने गृह जिले में प्रथम नियुक्ति नहीं दी जा सकती ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त आदेश को वापस लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को गृह जिले में नव-नियुक्ति नहीं दी जावे ताकि वे अपने मुख्यालय पर ही रहकर अपने कर्त्तव्यों को भली प्रकार से अंजाम दे सके।

(2) जी, नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 66
(स्थगित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के कार्यालय में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

67. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रूपाराम)

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, टौंक में वर्तमान में आफिस सुपरिटेन्डेंट के पद पर कार्यरत कर्मचारी के विरुद्ध उसके सेवाकाल में अनियमित रूप से लाभ प्राप्त करने एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित क्या-क्या मामले कब-कब प्रकाश में आए ? सर्विस पुस्तिका की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने मामले निर्णित हो चुके हैं तथा कितनों पर अब भी कार्यवाही चल रही है ? कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ? उक्त दोषी के विरुद्ध कब-कब क्या-क्या कदम उठाये गये ?

(3) क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी, कार्यालय टौंक में आफिस सुपरिटेन्डेंट का पद स्वीकृत नहीं है।

(2) भाग 1 उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) भाग 1 के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

डीडवाना (नागौर) के अकाल राहत कार्यों की बकाया प्रकरण

68. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड डीडवाना जिला नागौर द्वारा सम्वत् 2042 में अकाल राहत कार्यों पर मजदूरी पेटे गेहूं बांटने के कार्य का ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो किस किसको ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदारों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? किस-किस को अब कितना भुगतान किया जाना शेष है ? इनको अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिक छीजत की राशि के वसूली का मामला भी लम्बित है ? यदि हां, तो कौन-सा और क्यों ? विभाग द्वारा किस दर से छीजत वसूल की जाती है और उस समय गेहूं की दर क्या थी तथा मजदूरों को भुगतान किस दर से किया गया ?

(4) उक्त मामले का अन्तिम रूप से निपटारा कब तक कर दिया जायेगा ?

(5) क्या ठेकेदारों के साथ कोई समझौता भी किया गया था ? यदि हां, तो समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री पूर्णाराम को गेहूं बांटने का ठेका दिया गया था।

(2) गेहूं वितरण का सम्पूर्ण कार्य एक ही ठेकेदार (श्री पूर्णाराम) को दिया गया था जिन्हें रनिंग बिल के द्वारा रुपये 2,11,871.00 की राशि का भुगतान किया जा चुका है। उक्त ठेकेदार के द्वारा अनाज

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

व खाली बोरियों का हिसाब उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अन्तिम भुगतान का बिल बनाना सम्भव नहीं हो सका है। ठेकेदार द्वारा हिसाब देने के उपरान्त एक माह में देय राशि का भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। उल्लेखित सम्वत् वर्ष में सहायता विभाग द्वारा छीजत का कोई प्रावधान नहीं था। उस समय गेहूं की रेट 1.50 रु. प्रति किलोग्राम की दर थी एवं मजदूरी भुगतान की अधिकतम दर कार्य के अनुसार 11.00 रु अथवा 7.333 किलोग्राम प्रतिदिन की दर से टास्क के आधार पर किया गया।

(4) उपरोक्त बिन्दु 2 के अनुसार।

(5) जी नहीं। ठेकेदार द्वारा दी गई कोटेशन दरों की स्वीकृति जारी की गई। कोटेशन स्वीकृति का आदेश क्रमांक 45-49 दिनांक 7-6-86 (परिशिष्ट-"अ" संलग्न है)

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र निवाई में सड़क निर्माण

69. **श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टौंक जिले के विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत 2 वर्षों में कितनी नई सड़कों का निर्माण हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त कार्यों पर लागत राशि कितनी आई है ? उसमें कितने कार्य पूरे हो गए, कितने कार्य शेष हैं तथा शेष कार्य अब कब तक पूर्ण कर लिये जाएंगे ?

उत्तर

टौंक जिले के विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत 2 वर्षों में 22 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी (परिशिष्ट-"अ" संलग्न है) इनकी कुल स्वीकृति 134.00 लाख रुपये की थी इसमें से 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 14 में से 13 कार्य प्रगति पर हैं जिनमें से 5 कार्य 31-3-97 तक पूर्ण कर दिये जाएंगे तथा 8 कार्य 30 जून, 97 तक पूर्ण कर दिये जाएंगे एवं 1 कार्य वित्तीय वर्ष 97–98 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

वृत्त कार्यालयों में कार्यरत तकनीकी सहायक

70. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विभाग के सभी वृत्त कार्यालयों में तकनीकी सहायकों के पद अधिशाषी अभियन्ता स्तर के स्वीकृत हैं ? यदि हां. तो किन-किन अधीक्षक अभियन्ता के कार्यालय में ऐसे अधिकारी तकनीकी सहायक के रूप में कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) किन-किन वृत्तों में तकनीकी सहायक के पद पर अधिशाषी अभियन्ता स्तर के अधिकारी कार्यरत नहीं हैं ?

(श्री महावीर भगोरा)

(3) क्या विभाग, जिन-जिन वृत्तों में तकनीकी सहायक के पद पर अधिशाषी अभियन्ता स्तर के अधिकारी नहीं है, उन वृत्तों में इस स्तर के पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्थित विद्युत वृत्त कार्यालय को छोड़कर सभी वृत्त कार्यालयों में तकनीकी सहायक के पद अधिशाषी अभियन्ता स्तर के स्वीकृत हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत अधिशाषी अभियन्ताओं की सूची प्रपत्र-"अ" संलग्न है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत-वृत्त, जयपुर में तकनीकी सहायक पद पर अधिशाषी अभियन्ता स्तर का अधिकारी कार्यरत नहीं है।

(3) वर्तमान में तकनीकी सहायक के पद का विद्युत वृत्त में सृजन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

प्रदेश की सड़कों का रख-रखाव

71. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 1994-95 से 1996-97 में प्रदेश के किस-किस जिले को सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव हेतु कुल कितनी-कितनी राशि का आवंटन किस-किस मद में किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव हेतु राशि का आवंटन मदवार विवरण क्रमशः प्रपत्र "अ", "ब", "स" एवं "द" में अंकित हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर-अजमेर चार लेन मार्ग पर अनुमानित व्यय

72. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-अजमेर सड़क मार्ग के भारी यातायात दबाव एवं उस पर होने वाली दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग को चार लेन (फोरलेन) के प्रोजेक्ट कार्य के सर्वे कार्य हेतु केन्द्र सरकार ने स्वीकृति एवं वित्तीय राशि स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(2) उक्त सर्वे कार्य कब तक पूर्ण होने का अनुमान है तथा उक्त मार्ग को चारलेन का करने पर प्रति किलोमीटर कितनी राशि व्यय होना अनुमानित है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार उक्त प्रोजेक्ट कार्य प्राइवेट पार्टियों को बी.ओ.टी. (बिल्ड आपरेट एण्ड ट्रांसफर) स्कीम के

(श्री विष्णु मोदी)

तहत पूरा करने के लिए सुपुर्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस रूप में ?

उत्तर

(1) भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक आर. डब्ल्यू. एन. एच./12037/739/96/डब्लू. आर. दिनांक 31 जुलाई, 1996 द्वारा वर्ष 1996-97 की वार्षिक योजना में इस कार्य हेतु 36 लाख रुपये की अनुमानित लागत की स्वीकृति प्रदान की गई है (कि.मी. 0273/500 से 366/200 जयपुर अजमेर सेक्शन राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-8) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 5 (जनरल) 50 सेक्शन-2/96/डी-96 दिनांक 11-6-96 द्वारा 51 लाख रुपये का सर्वे एवं इनवेस्टीगेसन हेतु तखमीना भू-तल मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा जा चुका है। इसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

(2) भू-जल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली से वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही संभव है। प्रति कि. मी. राशि व्यय होने के अनुमान वर्तमान परिस्थितियों में आंकलन संभव नहीं है।

(3) यह मामला भू तल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से सम्बन्धित है।

टिडिया देव (बांसवाड़ा) के तालाब का निर्माण

73. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिला के कुशलगढ़ क्षेत्र में सिंचाई के कितने अधूरे तालाब हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अधूरे तालाबों को स्वीकृत कर सूखी धरती को हरी भरी कर किसानों को राहत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि टिडिया देव के अधूरे तालाब में वन विभाग की भूमि डूब में आ रही थी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधूरे तालाब में वन विभाग की भूमि डूब में आने वाली थी के बदले में जमीन दी जा चुकी है ?

(5) क्या सरकार टिडिया देव के अधूरे तालाब को स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांस जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में कुल 11 अधूरे तालाब हैं जिनकी सूची निम्नानुसार हैं :—

1. चरखनी 2. गोपालपुरा 3. उदयगढ वारुनी 4. कोटडी-वगायचा 5. पिपलोन 6. खजुरा 7. देवकी का नाका 8 टिडिया देव 9. सिमेला 10. हिम्मतगढ़ी 11. वगेरी खुटा

(2) जी हां, उपरोक्त तालाबों पर विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत आंशिक कार्य किया गया है।

(सिंचाई मंत्री)

जिसमें से 2 योजनाएं चरखनी एवं हिम्मतगढ़ी को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं व शेष तालाबों के लिए स्वीकृत सर्वे एवं तखमीने बनाने का कार्य तथा डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि अवाप्ति आदि का कार्य प्रगति पर हैं। इन शेष योजनाओं हेतु आवश्यक आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने एवं इनके तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्डों के अनुकूल पाए जाने पर इनकी स्वीकृति सम्भव होगी।

(3) जी हां।

(4) जी हां। टिडिया देव तालाब में वन विभाग की डूब में आने वाली भूमि के बदले जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा द्वारा राजस्व भूमि को आरक्षित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी अभी नहीं हुआ है।

(5) जी हां। टिडिया देव तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के सम्बन्ध मे वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने एवं परियोजना के तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्डों के अनुकूल पाये जाने, व आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यह कार्य करवाया जाना सम्भव होगा।

बांसवाड़ा माही बांध स्थित विश्राम गृह

74. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा में माही बांध स्थल पर निर्मित विश्राम गृह में वर्ष 1984-85 से 1994-95 की अवधि के दौरान कुल कितने आगन्तुक ठहरें ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यह विश्राम गृह कितने शयनकक्षों का है तथा क्या इसमें निर्मित शयक कक्ष भलीभांति सुसज्जित थे ?

(3) यहां पर दूसरे और विश्राम गृह पर कुल कितने रुपये व्यय किये गये और यह किस अवधि में बना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा में माही बांध स्थल पर वर्तमान में निवास योग्य कोई विश्राम गृह नहीं है वरन् एक अस्थाई विश्राम गृह है जो मूलतः निरीक्षण गृह है। इसमें वर्ष 1984-85 से 1994-95 की अवधि में कुल 497 आगन्तुक ठहरें। वर्षवार ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) इस निरीक्षण गृह में कुल 5 कमरे हैं जो विश्राम गृह के मापदण्डों के अनुरूप सुसज्जित नहीं हैं।

(3) वर्तमान में बांध स्थल पर निरीक्षण गृह के अलावा एक विश्राम गृह निर्माणधीन है जिसकी अनुमानित लागत 32.74 लाख है तथा इस पर दिसम्बर, 1996 तक कुल 27.85 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं इसका निर्माण कार्य वर्ष 1992-93 में आरम्भ हुआ था जो प्रगति पर हैं।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

समाज कल्याण विभाग के विभिन्न वर्ग के पदों की समाप्ति प्रकरण

75. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग के ग्रुप "जी" में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) विभाग के ग्रुप "जी" "एफ" "ई" और "डी" के कर्मचारियों को नियमानुसार अग्रिम पदों पर पदोन्नत किया गया है अथवा उन्हें चयनित वेतनमान 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा का लाभ दे दिया गया है?

(3) विभाग में ग्रुप 'एफ' 'ई' और 'सी' में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और प्रत्येक ग्रुप में वास्तव में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

(4) क्या यह सही है कि ग्रुप 'एफ' 'ई' व 'सी' के नगन्य पदों को बनाये रखने के कारण 'जी' ग्रुप के लगभग 500 कर्मचारियों की पदोन्नति व चयनित वेतनमान में व्यवधान है? यदि हां, तो इन नाम मात्र के खाली पदों को समाप्त करने की विभाग द्वारा अभी तक कार्यवाही किन परिस्थितियों में क्यों नहीं की गई?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उपरोक्त 'एफ' 'ई' और 'सी' ग्रुपों को समाप्त करने के लिए गत दो साल से विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो इस पर अब तक निर्णय न लिए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में ग्रुप 'जी' में 357 कर्मचारी कार्यरत है।

(2) जी हां। ग्रुप 'जी' 'एफ' और 'डी' के कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नत किया गया है और जिनको पदोन्नत नहीं किया गया, उनको 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष की सेवा पर नियमानुसार चयनित वेतनमान दिया जा रहा है।

(3) विभाग में ग्रुप 'एफ' में एक पद (अन्वेषक) ग्रुप 'ई' में 6 पद (अन्वेषक) और 'सी में 3 पद (अन्वेषक) के स्वीकृत थे, जिनको दिनांक 1-1-97 से शून्य आधारित बजट में समाप्त कर दिया गया है।

(4) ग्रुप 'एफ' 'ई' व 'सी' के पदों के कारण ग्रुप 'जी' के पदों पर पदोन्नति में व्यवधान था, किन्तु 01-1-97 से विभाग द्वारा शून्य आधारित बजट प्रस्तावों में उपर्युक्त पदों को समाप्त कर देने से यह व्यवधान समाप्त हो गया है।

(5) जी हां, विभाग द्वारा दिसम्बर 1995 में वित्त विभाग को प्रस्तुत शून्य आधारित बजट प्रस्तावों में ग्रुप 'एफ' 'ई' और 'सी' के पदों को समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था। उपर्युक्त प्रस्तावों का अनुमोदन वित्त विभाग से माह दिसम्बर, 1996 में प्राप्त हुआ। इसके आधार पर दिनांक 01-1-97 से उपर्युक्त पद समाप्त कर दिए गए हैं।

जिला सवाई माधोपुर के विद्यालयों का छात्रवृत्ति प्रकरण

76. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल)

(1) क्या माध्यमिक/सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है ?

(2) क्या जिला सवाई माधोपुर के समस्त माध्यमिक/सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को वर्ष 1995–96 की छात्रवृत्ति दे दी गई है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, छात्रवृति देने का प्रावधान है।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) करौली से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला सवाई माधोपुर के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वर्ष 1995–96 की छात्रवृति बजट के अभाव में निम्न प्रकार शेष रही है :—

1. पूर्व मैट्रिक छात्रवृति :–168 विद्यालयों के छात्रों की अक्टूबर, 95 से अप्रेल, 96 की छात्रवृति।

2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति :–7 विद्यालयों के छात्रों की मार्च-अप्रेल, 96 की छात्रवृति। उपर्युक्त शेष रही छात्रवृतियों का वर्तमान सत्र में भुगतान कर दिया जायेगा।

समाज कल्याण विभाग अलवर का अग्निकाण्ड

77. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर स्थित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में विकलांगों को दी गई छात्रवृति और अन्य तरह के घोटालों के साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए कार्यालय परिसर में पत्रादि एक स्थल पर रख कर आग लगाये जाने के प्रकरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो किस के द्वारा और कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आगजनी में वर्ष 1990 से 1995 के बीच हुए छात्रवृत्ति व अन्य भुगतानों की फाइलें कैशबुक, लेजर आदि नष्ट हो गये थे ? यदि हां, तो जांच उपरांत इस प्रकरण में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सच है कि अलवर स्थित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में विकलांगों को दी गयी छात्रवृत्ति एवं अन्य तरह के हुए घोटालों के साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए कार्यालय परिसर में एक स्थल पर रखकर रेकार्ड जलाने की रिपोर्ट तत्कालीन जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, श्रीमती चन्द्रबाला आर्य ने दिनांक 4-11-96 को सिटी कोतवाली में दर्ज करवाई थी।

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त प्रकरण में वर्ष 1990 से 1995 के बीच विकलांगों की छात्रवृत्ति एवं अन्य भुगतानों की पत्रावली कैशबुक (दिनांक 1-1-90 से 8-6-93 तथा 27-7-94 से 4-11-96

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

तक) लेजर आदि नष्ट हो गये। इस प्रकरण में समाज कल्याण विभाग द्वारा तात्कालिक जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी श्री महेशचन्द्र पारीक एवं श्रीमती चन्द्रबाला आर्य, पूर्व कैशियर श्री प्रहलाद मीणा, श्री रमेशचन्द्र मीणा तथा विकलांग छात्रवृत्ति के प्रभारी लिपिक श्री महेश गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक को निलम्बित किया जा चुका है। इस प्रकरण में जांच पुलिस द्वारा अभी भी की जा रही है।

राज्य के पंजीकृत विकलांग

78. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पंजीकृत विकलांगों की संख्या क्या है?

(2) सरकार की विकलांगों के कल्याण की क्या नीति है? उक्त नीति की क्रियान्विति हेतु सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में विभिन्न विभागों में पिछले विकलांगों को रोजगार एवं अन्य सुविधाएं मुहैय्या कराई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में रोजगार कार्यालय की जीवित पंजिका पर 31-12-96 तक 18755 विकलांग आशार्थी पंजीकृत हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा विकलांगों के कल्याण के सम्बन्ध में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार, शिक्षण-प्रशिक्षण, उपकरण एवं आर्थिक सहायता स्वालम्बन एवं पुनर्वास की नीति है। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों में विकलांगों को गत तीन वर्ष में निम्नानुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं मुहय्या करायी गई :—

1. रोजगार नीति :—

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1994	199
1995	191
1990	218

2. अन्य सुविधाएं

	योजना	गत तीन वर्षों में लाभार्थियों की संख्या 93–94	94–95	95–96
(क)	विकलांग छात्रवृति	40599	40500	35980
(ख)	उपकरण एवं आर्थिक सहायता,	4920	3990	6449
(ग)	स्वयंसेवी संस्थाओं के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की योजना	687	709	931

बाढ़ पीड़ितों को सहायता

79. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष आई बाढ़ के कारण राज्य में लोगों की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो किस-किस की कब-कब कहां-कहां जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बाढ़ में मरने वालों के आश्रितों को राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाढ़ में मरने वालों के आश्रितों को सहायता देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) जिलेवार मृतक के आश्रितों को भारत सरकार से प्राप्त राशि उपलब्ध करवा दी गई है विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

(3) बाढ़ से मरने वालों के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशि दी जाती है। सहायता देने हेतु जारी निर्देश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–3)

(सूची, विवरण, प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या 80

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत

81. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 1996 में विधान सभा क्षेत्र, पीपल्दा में बाढ़ से कई गांवों में आर्थिक नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितने गांवों में कुल कितने परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं ? बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कितने परिवारों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पायी क्या सरकार उनको सहायता पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 45 गांवों में 1111 परिवार प्रभावित हुए हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट–1)

(2) बाढ़ से प्रभावित 1111 परिवारों में से 1070 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। जिन 41 परिवारों को सहायता नहीं दी गई उनमें 31 परिवारों को पशु हानि व 10 को घरेलू सामान आदि अन्य कारण होने के कारण सहायता

(राज्य मंत्री, अकाल सहायता)

राशि, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप देय नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या 82

(स्थगित)

राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर में व्याख्याताओं के रिक्त पद

83. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

डूंगरपुर महाविद्यालय में कितने व्याख्याता हैं ? क्या कोई स्थान रिक्त भी हैं ? यदि हां, तो कितने तथा कब से व क्यों ? क्या सरकार खाली स्थानों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर में व्याख्याताओं के 62 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 7 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। रिक्त पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

1. अर्थशास्त्र	1 दि. 16-9-96 से
2. अंग्रेजी	1 दि. 5-12-96 से
3. इतिहास	1 दि. 8-10-96 से
4. राजनीति शास्त्र	1 दि. 18-7-96 से
5. प्राणी शास्त्र 2	1 दि. 10-9-96 से
	1 दि. 8-2-96 से
6. संगीत कण्ठ	1 (अधिशेष)

टोडाभीम (सवाईमाधोपुर) में महाविद्यालय की स्वीकृति

84. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कॉलेज खोलने के लिए सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कॉलेज खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार जिला सवाई माधोपुर के टोडाभीम कस्बे में कॉलेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित मानदण्ड सुनिश्चित हैं जिनका विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य सरकार की नीति महिला उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने की है। निर्धारित वर्तमान मानदण्डों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं की जाती है।

(2) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

तहसील लूणकरणसर क्षेत्र में स्वीकृत राशि का उपयोग

85. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीमसेन चौधरी)

(1) तहसील लूणकरणसर के किन-किन व्यक्तियों, संस्थाओं एवं समितियों को वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में ग्रामोद्योग व अन्य कार्यों हेतु कितनी राशि ऋण या अनुदान के तौर पर स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त स्वीकृत राशि का उन व्यक्तियों, संस्थाओं एवं समितियों द्वारा किस प्रकार उपयोग किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लूणकरणसर तहसील में वर्ष 93-94 में 16 संस्था/समिति व व्यक्तिगत इकाइयों को 2.50 लाख रुपये एवं वर्ष 94-95 में 14 सस्था/समिति व व्यक्तिगत इकाइयों में 1.37 लाख रुपये ऋण के तौर पर ग्रामोद्योग में स्वीकृत किया गया है तथा अनुदान के तौर पर कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है। इकाइयों की सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध है।

(2) स्वीकृत राशि का उपयोग इकाइयों ने उद्योग चलाकर 30 व्यक्तियों को वर्ष 93-94 में व 28 व्यक्तियों को वर्ष 94-95 को रोजगार उपलब्ध कराया है। परन्तु लूणकरणसर विकास संस्थान द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया है, जिसे वसूल करने की कार्यवाही चल रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

(12.13)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, एक सैकण्ड। एक मिनट रुकिये। (व्यवधान) (1) श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर अतिक्रमण के नाम पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरी सुनिये। अध्यक्ष महोदय, मेरी सुनिये। अध्यक्ष महोदय, आपके एक माननीय मन्त्री ने मेरे साथ बदतमीजी की है... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, वे क्या कारण थे जिनके कारण से इस्तीफा दिया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : (2) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में भू-आबंटन पर

(श्री अध्यक्ष)

लगी कथित रोक को हटाये जाने तथा भूमिहीन काश्तकारों को भू-आवंटन करने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय को सुनिये। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय को सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : (3) श्री शांतिकुमार धारीवाल, व पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर शहर में नगर परिषद के किरायेदारों की तामीर को अतिक्रमण बताते हुए तोड़े जाने व इस कार्यवाही में परिषद आयुक्त द्वारा जन प्रतिनिधि के साथ कथित अभद्र व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : प्रतिपक्ष के नेता महोदय को सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : (4) श्री अमरा राम एवं पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झनूं जिले के चिड़ावा कस्बे में बिजली की मांग कर रहे किसानों एवं विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित गोलीकांड करने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की नैनवां तहसील की ग्राम पंचायत माणी के गांवों को डांग क्षेत्र विकास योजना में सम्मिलित करवाये जाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : (2) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर यमुना जल समझौते के अनुसार राजस्थान के हिस्से का पानी अन्य राज्यों से लेने तथा जल में फैल रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(3) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित अनेक जलप्रदाय योजनाओं का पर्याप्त संधारण नहीं किये जाने से ग्रामीण जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : चूड़ी नहीं पहन रखी। आप भी आ जाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, फरमाएं आप।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : कोई बोलने ही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फरमाएं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानसिंह जी चौधरी। अधिसूचना। श्री ज्ञानसिंह जी चौधरी। (व्यवधान) आप फरमाओ। बोल तो कोई रहा नहीं है। कोई सुन नहीं रहा है। (व्यवधान) श्री ज्ञानसिंह जी चौधरी। अधिसूचना।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

कृषि विभाग

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (कृषि, राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विभाग की निम्नांकित सूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना सं.प. 12 (3) कृषि-I/इनपुट/96/II दिनांक 26-10-96 एवं अधिसूचना संख्या प. 12 (3) कृषि-I/इनपुट/96 दिनांक 13-8-96 जिनके द्वारा कतिपय अधिकारियों को कीटनाशी निरीक्षक नियुक्त किया गया,

(2) अधिसूचना संख्या प. 3 (18) कृषि-I/इनपुट/83 दिनांक 28-12-96 जिसके द्वारा पूर्व समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी, 1992 में संशोधन किये गये हैं।

(3) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) कृषि-II/ए/79 पार्ट दिनांक 28-12-1996 जिसके द्वारा पूर्व समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-1-96 में संशोधित किये गये हैं,

(4) अधिसूचना संख्या प. 3 (18) कृषि-I/इनपुट/83 दिनांक 28-12-96 जिसके द्वारा पूर्व समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई, 1992 में संशोधन किया गया है,

(5) अधिसूचना सं. प.15 (6) कृषि-I/इनपुट/82 दिनांक 28-12-96 जिसके द्वारा पूर्व समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी, 1992 में संशोधन किया गया है,

(6) अधिसूचना सं. प.3 (18) कृषि-I/इनपुट/83 दिनांक 28-12-96 जिसके द्वारा पूर्व समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जून, 1994 में संशोधन किया गया है, एवं

(7) अधिसूचना सं.प. 12 (3) कृषि-I/इनपुट/96 दिनांक 3-1-97 जिसके द्वारा पूर्व समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 1996 में संशोधन किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वार्षिक प्रतिवेदन। श्री ज्ञानसिंह जी चौधरी। (व्यवधान)

प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लि. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (कृषि, राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र कंवर। (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (पर्यटन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान रज्जुमार्ग, विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्या-3) पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान रज्जुमार्ग विधेयक, 1996 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997

विधायी कार्य, पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री गंगाराम जी चौधरी, प्रभारी मंत्री, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997 (1997 का विधेयक संख्या-2) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान) प्रस्ताव हो गया। प्रस्ताव हो गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापति करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। मंत्री महोदय विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे। श्री गंगारामजी चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, लेडी मैम्बर को आप (व्यवधान) अभी उत्तर प्रदेश बुला लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम जी चौधरी।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997 (1997 का

(श्री गंगाराम चौधरी)

विधेयक संख्या-3) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री गंगाराम चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह जी चौधरी।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1997 (1997 का विधेयक संख्या-4) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय को बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दो घंटे के लिए कह रहा हूं, दो घंटे के लिए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दो घंटे के लिए स्थगित की जाती है। (व्यवधान)

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.18 बजे दो घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(14.20)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.21 बजे, 15.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(15.02)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय मदेरणा साहब ... (व्यवधान) मदेरणा साहब। (व्यवधान) मदेरणा साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं। (व्यवधान) सुनें, सुनें। मदेरणा साहब का नाम लिया है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने आपसे करबद्ध प्रार्थना की थी, महामहिम राज्यपाल यहां पर अभिभाषण नहीं कर सके। जब वे अभिभाषण नहीं कर सके तो कोई भी आथेन्टिक कापी अभिभाषण की सदन के पटल पर नहीं रखी जा सकती। सदन के पटल पर जब वह रखी नहीं जा सकती तो धन्यवाद का प्रस्ताव रूल्स आफ प्रोसिजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनस में लाया नहीं जा सकता इसलिए जो कुछ भी कार्यवाही हो रही है, जैसा कि मैंने कल आपसे करबद्ध प्रार्थना की थी

श्री अध्यक्ष : मैं भी आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको महामहिम सम्बोधित आज इसलिए कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): इनको अपनी सीटों पर बैठाइये। ये वहां नहीं बैठ सकते। इनको अपनी सीटों पर बैठाइये (व्यवधान) नो, वहां नहीं बैठ सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मदेरणा साहब कोई बात कह रहे हैं। मदेरणा साहब की बात सुन लें आप। (व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि मदेरणा साहब की बात सुनें आप। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हाउस में इस तरह की बाड़ाबन्दी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य कहीं पर भी बैठ सकता है, बोल नहीं सकता है। (व्यवधान) कोई भी माननीय सदस्य कहीं भी बैठ सकता है, पर बोलते समय अपनी सीट पर जाना पड़ेगा। विराजिये आप। (व्यवधान) माननीय मदेरणा साहब। मदेरणा साहब कोई बात कह रहे हैं। (व्यवधान) मदेरणा साहब। माननीय मदेरणा साहब। माननीय मदेरणा साहब। माननीय मदेरणा साहब, फरमाएं आप। (व्यवधान) माननीय मदेरणा साहब, फरमाएं आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री अध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब। माननीय मदेरणा साहब। माननीय शिवनाथ सिंह जी। (व्यवधान) माननीय अमरारामजी (धोद) कोई विचार प्रकट करना चाहते हैं? कोई विचार प्रकट करना चाहते हैं? (व्यवधान) सत्ता पक्ष की तरफ से कोई विचार प्रकट करना चाह रहा है? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, विधायकों का अपहरण किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बोलना चाहे ? (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वोट करवा लीजिये। बोल रहे नहीं हैं। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, सदस्य ने प्रस्तुत किया है तथा जिसका समर्थन श्री टीकम चन्द जी कांत, सदस्य ने किया है, उसे स्वीकार किया जाए ? (व्यवधान) जो पक्ष में हों हां कहें, जो विपक्ष में हों ना कहें। (व्यवधान) जो पक्ष में हों हां कहें, जो विपक्ष में हों ना कहें (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

यह क्या हल्ला-गुल्ला हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं इनकी गिनती करना चाहता हूं। डिवीजन कराऊंगा। डिवीजन का आदेश दिया जाता है। (व्यवधान)

सशस्त्र परिचारक, सबको आदेश दिया जाता है कि सुरक्षा के लिए, एम. एल. ए. साहब की सुरक्षा के लिए यहां रहें। हाउस क्लियर किया जाए। (व्यवधान) लाबीज क्लियर की जाएं। क्लियर करें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(मत विभाजन घंटी)

(व्यवधान) और पुलिस बुलाओ। सशस्त्र परिचारक, और पुलिस बुलाओ। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री घनश्यामजी तिवाड़ी ने प्रस्तुत किया है तथा जिसका समर्थन श्री टीकम चन्द जी कांत ने किया है उसे स्वीकार किया जाए ? (व्यवधान) इन सबकी काउंटिंग करायी जाए। मैं आदेश देता हूं, आप बैठ जाएं। (व्यवधान) काउंटिंग कराइये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

काउंटिंग करो। (व्यवधान) सभी माननीय सदस्य जो पक्ष में हों, अपने-अपने स्थान पर खड़े रहें, काउंटिंग हो रही है। (व्यवधान) सभी माननीय सदस्य, जो प्रस्ताव के पक्ष में हों, अपने स्थान पर खड़े रहें। (व्यवधान) सभी सदस्य जो पक्ष में हों, मतदान के समय अपने स्थान पर खड़े रहें, उनका वोट हाथ गिनकर काउंट किया जाएगा (व्यवधान) काउंटिंग करो जल्दी (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

काउंटिंग करिये। (व्यवधान)

[illegible] : जो पक्ष में हों हाथ खड़े करें।

(मत विभाजन)

(मत विभाजन के पश्चात्)

राज्यपालजी के अभिभाषण पर घनश्याम जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है वह 115 वोटों से स्वीकार किया गया। 115 वोट।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता.... (व्यवधान) हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

घनश्यामजी ने जो प्रस्ताव रखा है वह स्वीकार किया जाता है। सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(व्यवधान)

सदस्य का निलम्बन

सर्व श्री जगदीप धनखड़, अमराराम चौधरी (पचपदरा), भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा का तीन माह के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं की है अभी, अब कर रहे हैं। (व्यवधान) चूंकि आज दिनांक 22 जनवरी, 1997 को जब सदन की बैठक प्रारम्भ हुई तब प्रश्नकाल में प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के बीच में आकर हल्ला-गुल्ला करने लगे, नारे लगाने लगे तथा अध्यक्ष प्रश्न ले रहे थे तो उसमें व्यवधान करने लगे। माननीय सदस्य श्री जगदीप धनखड़, अमरारामजी चौधरी (सी. पी. एम.), भंवरलालजी शर्मा, जुबेर खानजी ने मेज पर खड़े होकर अध्यक्ष होकर अध्यक्ष के खिलाफ भद्दी भाषा का प्रयोग किया व गाली-गलौच करने लगे। तब अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर जाने का आदेश दिया जिसकी उन्होंने अवहेलना की। जब मार्शल आदेश प्राप्त कर उन्हें बाहर ले जाने के लिए गए तो उनके साथ मारपीट की, उनकी टोपी उछाल दी। उसी समय माननीय सदस्य श्री गोपीचन्दजी गुर्जर ने तो माननीय मंत्री दिलावर की सीट पर आकर थप्पड़ मारा। उपरोक्त सभी माननीय सदस्यों का आचरण सदन की गरिमा गिराने वाला व आपराधिक किस्म का है। इसलिए सदन उनकी सदस्यता को दिनांक 22 जनवरी, 1997 से तीन माह के लिए निलम्बित करता है, ऐसा प्रस्ताव आया है। (व्यवधान) यह प्रस्ताव शामिल किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इन माननीय सदस्यों को तीन महीने के लिए विधान सभा की कार्यवाही से निष्कासित किया जाता है।

प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इन माननीय सदस्यों को तीन महीने के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। सदन की कार्यवाही 6 मार्च, 1997 के 11 बजे तक के लिए स्थापित की जाती है। वृहस्पतिवार तक, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। सदन की कार्यवाही समाप्त। (व्यवधान) राष्ट्रगान, राष्ट्रगान कराइये।

—जन-गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
—पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा,
द्राविड़, उत्कल बंगा।
विंध्य, हिमाचल, यमुना-गंगा,
उच्छल जलधि तरंगा।
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष मांगे,
गाहे तब जय गाथा।
जन-गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 15.15 बजे बृहस्पतिवार, 6 मार्च, 1997 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 27 की सूचना)

जिला बांसवाड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं. 1	संस्था का नाम 2	पदनाम 3	रिक्त पद 4
1.	महात्मा गांधी अस्पताल बांसवाड़ा	वरिष्ठ विशेषज्ञ	3 गायनी–3/93, रेडियो/96 टी. बी.–10/96
		उप नियन्त्रक	1 7/96
		कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 पैथो. 8/96, टी. बी. 10/95
		चिकि. अधिकारी	12 (8) 7/92. (4) 5/94
2.	सिटीडिस्पेन्सरी बांसवाड़ा	चिकि. अधिकारी	1 6/95
3.	खान कालोनी डिस्पेन्सरी बांसवाड़ा	चिकि. अधिकारी	1 8/95
4.	मा. शि. कल्याण केन्द्र बांसवाड़ा	चिकि. अधिकारी	1 12/95
5.	सा. स्वा. के कुशलगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 सर्जरी/मेडि. 10/94
6.	सा. स्वा. के. छोटा डूंगरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1 सर्जरी
		व. चि. अ.	1 1/95
7.	सा. स्वा. के. छोटी सरवन	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 मेडि/सर्जरी
		व. चि. अ.	1 6/94
8.	सा. स्वा. के बागीडोरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1 मेडि. 6/93
9.	स. स्वा. के. सरेडीबड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 मेडि/सर्जरी
		चिकि. अधि.	1 9/95
10.	सा. स्वा. के. गनोडा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 मेडि/सर्जरी 10/96, 10/92
		चिकि. अधिकारी	1 11/95
11.	सा. स्वा. के. परतापुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1 गायनी 9/96
		व. चि. अ.	1 8/95
12.	मोबा. नेत्र यूनिट बांसवाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1 नेत्र
13.	सा. स्वा. के. छींछ	व. चि. अ.	1 8/96

1	2	3		4
14.	सा. स्वा. के. आनन्दपुरी	व. चि. अ.	1	5/96
15.	प्रा. स्वा. के. जगपुरा	चिकि. अधिकारी	1	3/95
16.	प्रा. स्वा. के. टिमेटावड़ा	चिकि. अधिकारी	1	1/96
17.	प्रा. स्वा. के. सज्जनगढ	चिकि. अधिकारी	1	3/95
18.	प्रा. स्वा. के. घंटाली	चिकि. अधिकारी	1	9/96
19.	प्रा. स्वा. के. शेरगढ़	चिकि. अधिकारी	1	8/96
20.	एम. जी. अस्प. बांसवाड़ा	व. विशेषज्ञ	3	गायनी 12-3-96 रेडियो 15-4-96 टी. बी. 30-10-96
		उप नियन्त्रक	1	24-7-96
		कनिष्ठ विशेषज्ञ	3	ई.एन.टी. 30-4-96 पैथो. 21-8-96 टी. बी. 17-10-95
		चिकि. अधिकारी	12	5/92 (1) 2/92(3)7/92 (4) 5/94 (4)
21.	सिटी डिस्पे. बांसवाड़ा	चिकि. अधिकारी	1	25-6-95
22.	सिटी डिस्पे. खादू कालोनी बांसवाड़ा	चिकि. अधिकारी	1	9-8-95

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 26 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

वित्तीय वर्ष	सड़क का नाम	नवीनीकरण हुये कि. मी. की संख्या	व्यय की गई राशि लाखों में	विशेष विवरण
1994-95	बाडीघाटी मेरुन्दा डेगाना तरनाऊ सड़क रा. मार्ग सं. 18	4 कि. मी.	9-22	कि. मी. 58 से 61
	दाँतीवाड़ा पीपाड़सिटी मेड़तासिटी मेरुन्दा परबतसर सड़क रा. मा. सं. 21	3 कि. मी.	6-09	कि. मी. 122,123 एवं 124
1995-96	—	—	—	—
1996-97	बाडीघाटी मेरुन्दा डेगाना तरनाऊ सड़क रा. मा. सं. 18	—	0-75	कि. मी. 40, 55 में कार्य प्रगति पर है
	योग :	7 कि. मी.	16-06 लाख	

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची)

नगर परिषद्, पाली (राज.)

क्र. सं.	आबंटी का नाम	पता	भूखण्ड	विवरण
1.	श्रीमती हीरादेवी पत्नी श्री जोधाराम	गांव बरकाना तहसील देसूरी	126	
2.	शहीद सैनिक शैतानसिंह	गांव रास तहसील बैतारण	127	आश्रित/उत्तराधिकारी निर्धारण हेतु प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। अतः भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया गया।
3.	श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी जेठूनाथसिंह	गांव खोडिया	128	
4.	श्रीमती प्रकाशकंवर पत्नी देवपालसिंह	गांव देवल वासनी	131	माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं। अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया।
5.	शहीद सैनिक नाथूसिंह	गांव सावड़ा तहसील बाली	132	
6.	श्रीमती कवरी देवी पत्नी एस. रावत	गांव भीला	133	
7.	श्रीमती भंवरकंवर पत्नी भंवरसिंह	गांव हरिया-माली	134	
8.	शहीद सैनिक शम्भूराम	गांव पीपल की ढाणी	135	
9.	शहीद सैनिक कूपसिंह	गांव खेड़ा	136	
10.	श्रीमती भंवरकंवर पत्नी रामसिंह	गांव काकेला-वास	137	

आयुक्त
नगर परिषद् पाली

नगर परिषद, पाली (राज.)

अनुज्ञा-पत्र (लाईसेंस) की शर्तें :—

1. लाईसेंस प्राप्त कर्त्ता द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निजी आवास के लिए भवन निर्माण करने हेतु किया जायेगा। इसका उपयोग और किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

2. लाईसेंस प्राप्तकर्त्ता इस भूमि का उप विभाजन नहीं करेगा या उस पर एक से अधिक आवास भवन नहीं बनायेगा।

3. लाईसेंस प्राप्तकर्ता नगर परिषद द्वारा स्वीकृत योजना एवं नमूने के अनुसार भवन बनायेगा तथा उसको दो वर्षों की अवधि में तद्नुसार पूर्ण करवायेगा और उक्त परिषद से पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा। उक्त अवधि में भवन निर्माण न करने की स्थिति में वर्णित भू-खण्ड जब्त किया जा सकता है।

4. इस प्रकार से निर्मित भवन पूर्णतया आवास के प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जायेगा।

5. चार दिवारी की दिवारों की ऊंचाई तथा बनावट स्वीकृत डिजाइन के अनुसार होगी।

6. निर्मित क्षेत्र : बिल्डिंग एरिया : भू-खण्ड के कुल क्षेत्र के 50% से अधिक नहीं होगी।

7. कोनों या मोड़ों चौराहों : सर्किल के पास दरवाजे नहीं बनाए जाएंगे।

8. लाईसेंस प्राप्तकर्त्ता प्रथम तीन वर्षों के लिए प्रति वर्गगज 1 1/4 प्र. श. तथा उसके बाद 2 1/2 प्र. श. प्रति वर्गगज दर पर वार्षिक शहरी जमाबन्दी का भुगतान करेगा।

9. (अ) लाईसेंस प्राप्तकर्त्ता इस लाईसेंस को या इससे प्राप्त लाभ को किसी को नहीं सौंपेगा और न ऐसा करने के लिए कोई अधिकार पत्र निष्पादित करेगा।

(ब) लाईसेंस प्राप्तकर्त्ता आबंटन की तिथी से 10 वर्ष की समाप्ति से पहले भू-खण्ड को हस्तान्तरित नहीं करेगा और यह हस्तान्तरण 10 वर्ष के बाद ऐसे कर या शुल्क के साथ होगा जैसे समय-समय पर सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारण किया जावे।

(स) अगर कोई व्यक्ति राजस्थान नगरपालिका/नगरीय भूमि निष्पादन/नियम 1974 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपना भू-खण्ड किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करेगा तो वह भू-खण्ड लाईसेंस प्रदाता द्वारा जब्त कर लिया जायेगा। एवं लाईसेंस प्राप्तकर्ता को इसके लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा तथा भविष्य में वह रियायती दर पर भूखण्ड पाने का अधिकार नहीं होना।

10. पूर्वोक्त शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन करने, पूरा न करने व अपालन की दशा में लाईसेंस प्राप्तकर्त्ता को एतद्द्वारा प्रदत्त लाईसेंस तथा उक्त भूमि और इस पर पूर्ण प्रवेश का प्रति संहरण समाप्त किया जा सकता है और लाईसेंस प्राप्तकर्ता लाईसेंस प्रदाता या उसके लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी को उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित पूरे भवन को शान्तिपूर्वक कब्जा देने के लिए बाध्य होगा।

परन्तु शर्त यह है कि पूर्वोक्त शर्तों में से किसी शर्त के उल्लंघन करने पूरा न कर नेया अपालन की दशा में लाईसेंस प्रदाता द्वारा इस भूखण्ड के प्रावधानों को उस पर प्रवृत करने में रही चूक परवर्ती या क्रमिक अवसरों में उक्त प्रावधानों को प्रवृत करने के उसके अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा।

11. खण्ड 10 के प्रावधानों के अधीन लाईसेंस दो वर्ष की अवधि तक चालू रहेगा, जब तक कि लाईसेंस प्रदाता द्वारा इसकी अवधि न बढ़ा दी जावे।

12. भूमि का विक्रय (पट्टा) तथा उसका पंजीकरण खरीददार/आबंटी को जब ही जारी किया जायेगा जब वह अनुज्ञा पत्र की शर्तों का पूरी तरह से पालन करेगा तथा पहली मंजिल का निर्माण 2/3 भाग स्वीकृत नक्शों के अनुसार करा दिया जावेगा।

ह०
आयुक्त
नगर परिषद पाली

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट–"1"

(तारांकित प्रश्न संख्या 32 की सूचना)

भारतीय सिंचाई मंत्री राजस्थान द्वारा बाड़ी मानसरोवर बांध एवं गम्भीरी बांध के निर्माण कार्य के निरीक्षण दिनांक 1-2 नवम्बर, 1996 पर पाई गई अनियमितताएं

बाडी मानसरोवर बांध :

निरीक्षण में देखा गया कि भारी अनियमितताएं की गई हैं व निम्न स्तर का कार्य किया गया है। बांध की पाल पर 20 कि. मी. की मेयर में मिट्टी डाली जानी चाहिए जिसकी बजाय 35, से 40 से. मी. मेयर में मिट्टी डाल दी गई व उसकी कुटाई भी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं की गई। पाल के दोनों ओर स्लोप्स पर मिट्टी बहुत अधिक ढीली पाई गई व उसकी कुटाई भी नाम मात्र की की गई। बांध के बाहरी स्लोप्स पर फिल्टर टोप बनाया गया वह भी निर्धारित डिजाइन के अनुसार नहीं बनाया गया है तथा पत्थरों की भराई के नीचे 15 से. मी. के रेत तथा 15 से. मी. के कतलें होनी चाहिए, जो जांच के दौरान नहीं पाई गई। मिट्टी में कंकर की मात्रा अधिक थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। माला क्षेत्र में जहां पानी निकालने के लिए फाटक लगाये जाएंगे, वहीं, रिंगणम की नींव 1–5 मीटर कंकरीट डाली जानी चाहिए थी। उसकी एवज में पत्थर की चुनाई कर दी गई जबकि भुगतान कंकरीट का कर दिया गया है, जो अनियमितता है। चुनाई भी काफी घटिया किस्म की की गई है जिससे रिंगवाल को हमेशा खतरा बना रहेगा। रिंगवाल की नींव कच्चे पत्थरों पर ही रख दी गई है तथा निर्धारित डिजाइन का ध्यान नहीं रखा गया है।

गम्भीरी बांध :

गम्भीरी बांध के नहर के निरीक्षण में पाया गया कि चैन 55 से 80 तक बांई दीवार बनाई गई है, उसमें पानी का रिसाव हो रहा था। जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्य में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इसी प्रकार चैन 130 से जो धारा निकाला गया है उसमें बहुत ही घटिया किस्म की चुनाई व कंकरीट की गई है, तराई बिल्कुल नहीं की गई व रेत भी बहुत ही निम्न स्तर की कार्य में ली गई है।

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूचना)

(1) वर्ष 1996 में दर्ज अपराधों का विवरण :

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज	एफ. आर.	चालान	पेण्डिग
1.	हत्या	61	9	42	10
2.	डकैती	4	—	3	1
3.	चोरी	4261	3584	590	87
4.	अपहरण	201	111	71	19
5.	बलात्कार	25	4	20	1
6.	अन्य	8866	2721	5577	568
7.	योग :	13418	6429	6303	686

(2) तुलनात्मक विवरण वर्ष 1995, 1996 :

क्र. सं.	वर्ष	हत्या	डकैती	चोरी	अपहरण	बलात्कार	अन्य	योग
1.	1995	60	—	3856	233	22	8441	12612
2.	1996	61	4	4261	201	25	8856	13418

परिशिष्ट-6

(तारांकित प्रश्न संख्या 41 का विवरण)

1. जनवरी, 1997 से राज्य में विभिन्न जिलों को रक्त पट्टिकाओं के संचयन के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

2. राज्य में वर्ष 1996 में मलेरिया रोग की प्रभावी रोकथाम हेतु बनाई गई मलेरिया कार्यकारी योजना के तहत राज्य स्तर से उपकेन्द्र स्तर तक नियमित वार्षिक गतिविधियों का निर्धारण किया गया है।

3. राज्य की मांग के अनुरूप राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली को 9.30 लाख क्लोरोक्विन, 23.20 लाख प्राइमाक्विन तथा 4350 मैट्रिक टन डी.डी.टी. की आपूर्ति वर्ष 1997 में किये जाने हेतु मांग पत्र भेजा गया है।

4. क्रैश प्रोग्राम अप्रैल 1997 से 14 मई, 1997 तक चलाया जाना प्रस्तावित है।

5. राज्य में कीटनाशक स्प्रे किया जायेगा (दिनांक 15 मई से 15 अक्टूबर तक)

जिले अनुसार मलेरिया से हुई मृत्याओं की संख्या

1.	अलवर	1	11.	जोधपुर	1
2.	भरतपुर	6	12.	चित्तौड़गढ़	—
3.	दौसा	2	13.	राजसमंद	—
4.	धौलपुर	4	14.	बारां	—
5.	जयपुर	35	15.	झालावाड़	1
6.	झुन्झुनूं	8	16.	करौली	9
7.	सीकर	6	17.	अजमेर	2
8.	बीकानेर	4	18.	भीलवाड़ा	7
9.	बाड़मेर	2	19.	नागौर	1
10.	जैसलमेर	1	20.	टोंक	—

कुल मृत्याओं की संख्या : 90

परिशिष्ट–7

(तारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूचना)

परिशिष्ट–"क"

बस डकैती

क्र.सं.	जिला	मुकदमा नम्बर	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	अन्तिम निर्णय
1	2	3	4	5
1.	धौलपुर	274/96	5	आरोप पत्र
	,,	283/96	5	,, ,,
2.	दौसा	35/96	2	,, ,,
3.	बांसवाड़ा	206/96	4	,, ,,

पेट्रोल पम्प लूट

1.	अजमेर	76/95	4	आरोप पत्र
	,,	135/96	—	अदम पता
2.	भीलवाड़ा	100,184,149,188/95	19	आरोप पत्र
3.	झुन्झुनूं	164/96	3	,, ,, 173(8) जा.फौ.
4.	सीकर	274/95	4	आरोप पत्र 173(8) जा.फौ.
5.	टौंक	163/95	—	अदम पता
6.	अलवर	20/96	—	,, ,,
7.	कोटा ग्रामीण	88/167 116/95	—	,, ,,
8.	कोटा शहर	208, 60, 116/95	21	आरोप पत्र
	,,	155/95	—	अदम पता
9.	झालावाड़	137/95	—	,, ,,
10.	बून्दी	178/95	—	,, ,,
11.	उदयपुर	30/96	—	,, ,,
12.	चित्तौड़गढ़	392, 441/95	—	,, ,,
13.	बांसवाड़ा	29/96	—	,, ,,
14.	डूंगरपुर	218/95	5	आरोप पत्र
15.	भरतपुर	264/95	—	अदम पता

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट-"1"

(तारांकित प्रश्न संख्या 44 का विवरण)

मात्रिकुण्डिया बांध के पीछले पांच वर्षों के पानी का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	मेजा बांध में मेजा फीडर से प्राप्त पानी की मात्रा (एम. सी. एफ. टी.)
1.	1992	1035
2.	1993	—
3.	1994	620
4.	1995	1047
5.	1996	800

परिशिष्ट-"2"

मात्रिकुण्डिया बांध के पिछले पांच वर्षों के पानी का वसूली योग्य

राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	हिन्दुस्तान जिक को दिए पानी की मात्रा	हिन्दुस्तान जिक से प्राप्त की गई राशि रु. लाखों में
1.	1992	213	42.10
2.	1993	62	12.40
3.	1994	213	41.476
4.	1995	213	42.60
5.	1996	213	41.476

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट–"अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या 47 की सूची)

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

बून्दी जिले में दिनांक 1-1-1996 से 31-12-1996 तक रिवाल्वर एवं अन्य हथियारों के लिए जारी लाईसेंस की सूची

क्र. सं.	नाम	लाइसेंस नं.	जारी करने का दिनांक	शस्त्र जिसके लिए जारी किया
1	2	3	4	5
1.	श्री वासुदेव भट्ट आत्मज कालीदास भट्ट, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, बूंदी।	1191/96	02-01-96	12 बोर
2.	श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी आत्मज हरिसिंह सोलंकी नि. बालचन्दवाड़ा, बून्दी।	1194/96	18-03-96	12 बोर
3.	श्री रतनसिंह भाला आत्मज अमरसिंह भाला जूनियर इंजीनियर, आर. एस. ई. बी. बून्दी।	1195/96	18-03-96	12 बोर
4.	श्री महेन्द्रसिंह सोलंकी आत्मज श्री जगन्नाथसिंह निवासी अजेता।	1196/96	14-05-96	12 बोर
5.	श्री प्रभूदयाल गोड़ आत्माज श्री पहलाद निवासी बून्दी।	1198/96	04-06-96	12 बोर
6.	श्री बी. एस. प्रधान आत्मज श्री जे. एस. प्रधान कोषाधिकारी, बून्दी।	1199/95	21-06-96	12 बोर

"परिशिष्ट–"ब"

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

बून्दी जिले में दिनांक 1-1-1996 से 31-12-1996 तक की अवधि में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का विवरण

क्र.सं.	नाम	अनुज्ञापत्र सं. मय दिनांक	प्रा.पत्र प्राप्त होने की ता.	विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री रघुवीरसिंह राठौड़ आत्मज बहादुरसिंह उप अधीक्षक पुलिस, बूंदी	1182/95 28-08-95		आदेश दि.18-3-96 के द्वारा शस्त्र क्रय हेतु 11-6-96 तक की अवधि बढ़ाई।
2.	श्री मधुसूदन शर्मा आत्मज श्री प्रेमुलाल पंचोली खोजागेट रोड़, बून्दी	1185/85 18-09-95	05-01-96	आदेश दि. 1 के अनुसार प्रा. पत्र निरस्त किया जाकर अनुज्ञापत्र भी निरस्त किया।
3	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री मूलमित्र शर्मा निवास धाटून्दा	1186/95 04-10-95	01-01-96	आदेश दि. द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया
4.	गजेन्द्रसिंह हाड़ा आत्मज श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा निवासी बून्दी	1187/95 20-10-95	30-01-96	आदेश दि. द्वारा 20-10-96 तक की अवधि बढ़ाई गई।
5.	श्री ओमप्रकाश शर्मा आत्मज श्री कन्हैयालाल शर्मा मांजी साहब का कुण्ड, बून्दी	1188/95 04-12-96	02-03-96	आदेश दि. के अनुसार 4-6-96 तक की अवधि बढ़ाई।

1	2	3	4	5
				2. प्रार्थी द्वारा दि.25-5-96 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दि. 4-9-96 तक की अवधि बढ़ाई।
				3. प्रार्थी द्वारा दि 2-9-96 को प्रा. पत्र प्रस्तुत करने पर दि. 4-12-96 तक की अवधि बढ़ाई।
6.	श्री राजीवदत्ता आत्मज श्री आई. के. दत्ता थानाधिकारी, कोटाडेम	1189/95 05-12-95	02-03-96	आदेश दि. 18-3-96 के अनुसार दि 5-6-96 तक की अवधि बढ़ाई गई।
7.	श्री महेन्द्रसिंह सोलंकी आत्मज जगन्नाथसिंह निवासी अजेता।	1196/96 14-05-96	21-08-96	आदेश दि. 30-8-96 के अनुसार दि. 5-12-96 तक की अवधि बढ़ाई।
8.	श्री बी. एस. प्रधान, आत्मज श्री जे. एस. प्रधान कोषाधिकारी, बून्दी।	1199/96 21-12-96	19-09-96 19-12-96	आदेश दि. 20-9-96 के अनुसार दि.21-12-96 तक की अवधि बढ़ाई।
				2. आदेश दि. 17-1-97 के अनुसार दि. 20-4-97 तक की अवधि बढ़ाई।

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट-"क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 50 की सूची)

तहसील डेगाना क्षेत्रीय जल योजनाओं की सूची

क. सं. 1	योजना का नाम 2	लाभान्वित ग्रामों का नाम 3
1.	आकेली खियास	1. आकेली 2. खियास 3. बच्छवारी 4. सिन्दलास 5. दुघड़ास
2.	पुनास करासोडा	1. पुनास 2. करोसोडा 3. चकढ़ाणी 4. राजोदा 5. ईग्यासनी 6. खारियां खुर्द 7. खारियां कलां 8. नेनाणस 9. चोखियास
3.	चुई बामना	1. मियासर 2. चुई
4.	डबोली मीठी-खारी	1. डबोली मीठी 2. डबोली खारी 3. मंवरियां
5.	भारली चारडास	1. भारली 2. चारडास 3. बरना
6.	मोगास जालसू	1. गेमलियावास 2. मोगास 3. अलवास

1	2	3
		4. जोधड़ास
		5. खिन्दास
		6. खत्तोलाई
		7. सुखबासनी
		8. जालसू नानक
		9. जालसू कलां
		10. जालसू खुर्द
		11. मातरोली खुर्द
		12. मातरोली कलां
7.	नून्द गुन्दीसर	1. नून्द
		2. गुन्दीसर
8.	रेवत झगड़वास	1. रेवत
		2. झगड़वास
9.	तामडोली-डुमानी	1. तामडोली
		2. डुमानी
		3. रामसरी
		4. गोरडी करना
10.	बंवरला चिकनास	1. बंवरला
		2. चिकनास
		3. सारसण्डा
11.	बच्छवास	1. बच्छवास
		2. सांडास
		3. चूडियास
12.	ईडवा मोडरिया	1. चाचियास
		2. ईडवा
		3. मोडरिया
		4. सुन्दरी
13.	डेगाना-तिलानेस	1. डेगाना गांव
		2. तिलानेस
		3. जावा सिसोदी
		4. घाणा

1	2	3
14.	गोनरड़ा–गोनरड़ी	1. गोनरडा 2. गोनरड़ी 3. भ्राछोजाई 4. खरोवास 5. पुन्दलोत
15.	देवला पादा देवला कलां	1. देवला कलां 2. देवाली मादा
16.	सिरासना केरियारावा	1. सिरासना 2. केरिया–रावा
17.	मांझी हूबचर	1. कंवाल 2. गुनसली 3. मांझी 4. कुतियासनी खुर्द 5. हूबचर
18.	निम्बोला बिस्वा	1. निम्बोला बिस्वा 2. शहापुरा
19.	पचरण्डा कलां का बास	1. कलां का बास 2. पचरण्डा खुर्द
20.	बिछपुरी सावलियावास	1. बिछपुरी 2. सावलियावास
21.	खैरवा	1. खैरवा 2. जैतपुरा खुर्द 3. दुगोर चिकनास 4. जैतपुरा कलां 5. दुगोर दासा 6. दुगोर भ्रबला
22.	सांज बामना	1. बामना कलां 2. बामना खुर्द 3. चौसली 4. दागड़ा

1	2	3
23.	खुडी कलां खुडी खुर्द	1. खुडी कलां 2. खुडी खुर्द
24.	निम्बोला–निम्बोला खुर्द	1. निम्बोला कलां 2. निम्बोला खुर्द 3. निम्बोला पुरोहित
25.	विस्तार क्षेत्रीय सूरजगढ़	1. सूरजगढ़
26.	इटावड़ा भोजा–इटावड़ा	1. इटावड़ा भोजा 2. इटावड़ा लाडवानी
27.	मैंडास कलां नयावड़ा	1. मैंडास कलां 2. खानपुरा
28.	शेखपुरा–सुदवाड़	1. शेखपुरा 2. सुदवाड़ 3. गुढ़ा जोधां
29.	किरड चारनावास	1. किरड 2. चारनावास
30.	विस्तार जल योजना मुण्डेलपुरा	1. मुण्डेलपुरा
31.	विस्तार जल योजना सूरजगढ़	1. सूरजगढ़

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 51 की सूचना)

परिशिष्ट—क

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 4000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में पेयजल की स्थिति

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	जनसंख्या 1991	तहसील	पंचायत समिति	वर्तमान पेयजल स्थिति	वि. विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मैंसरोडगढ़	266	4396	बेगूं	मैंसरोडगढ़	पाइप्ड योजना (विभाग द्वारा संधारित)	—

परिशिष्ट—ख

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 1500 से 4000 के बीच जनसंख्या वाले गांवों में पेयजल योजना की स्थिति

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	जनसंख्या 1991	तहसील	पंचायत समिति	वर्तमान पेयजल स्थिति	वि. विवरण
1.	राजगढ़	29	1610	बेगूं	बेगूं	हैण्डपम्प योजना	पनघट योजना के प्रस्ताव जिनकी अनुमानित लागत लगभग 18.48 लाख रुपये है बनायी गई है तथा स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
2.	नन्दवाई	69	1821	"	"	पनघट योजना	पूर्व में ही यह योजना पनघट योजना के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा संधारित की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	काटून्दा	93	2189	बेगूं	बेगूं	पनघट योजना स्वीकृत कार्य प्रगति पर है।	पनघट योजना जिसकी अनुमानित लागत 11.93 लाख रुपये हैं दिनांक 6-3-96 को स्वीकृत की जा चुकी है तथा कार्य प्रगति पर है। कार्य वर्ष 98 की गर्मी तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
4.	ठुकराई	114	1701	"	"	हैण्डपम्प योजना	पनघट योजना के प्रस्ताव जिसकी अनुमानित लागत 20.77 लाख रुपये हैं स्वीकृत की प्रक्रिया में है।
5.	मण्डावरी	124	1576	"	"	"	पनघट योजना के प्रस्ताव जिसकी अनुमानित लागत 15.00 लाख रुपये है, स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
6.	रावरदा	160	1903	"	"	"	पनघट योजना के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।
7.	चेची	218	2616	"	"	पनघट योजना स्वीकृत कार्य प्रगति पर है।	पनघट योजना अनुमानित लागत 11.79 लाख की दिनांक 14–3–96 की स्वीकृत की जा चुकी है, कार्य मार्च, 97 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	पारसोली	26	3035	बेगूं	बेगूं	पम्प व टैंक योजना (विभाग द्वारा संधारित)	—
9.	भिचोर	61	2951	,,	,,	,,	—
10.	बोराव	290	2313	,,	भैंसरोडगढ़	पनघट योजना स्वीकृत कार्य प्रगति पर	पनघट योजना की अनुमानित लागत 7.96 रुपये दिनांक 17–4–96 को स्वीकृत की जा चुकी है; कार्य अप्रेल, 97 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
11.	झालर बावड़ी	311	1512	,,	,,	पनघट योजना चालू	राजस्थान परमाणु बिजली घर द्वारा भूतल जलाशय एवं सार्वजनिक नलों द्वारा पेयजल वितरण किया जा रहा है।

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूची)

वन क्षेत्र में गिरने वाले खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस बाबत सूचना

परिशिष्ट—अ

क्र. सं.	खण्ड/उपखण्ड	खनन पट्टे	क्वारी लाइसेंस	योग
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	101	—	101
2.	राजसमन्द-I	—	—	—
3.	राजसमन्द-II	2	—	2
4.	सलुम्बर	29	—	29
5.	खेरवाड़ा	144	—	144
6.	बांसवाड़ा	95	—	95
7.	डूंगरपुर	28	—	28
8.	भीलवाड़ा	20	—	20
9.	बिजोलिया	—	9	9
10.	चित्तौड़गढ़	1	3	4
11.	निम्बाहेड़ा	2	—	2
12.	जयपुर	155	215	370
13.	अजमेर	36	—	36
14.	नीमकाथाना	64	275	339
15.	मकराना	1	—	1
16.	कोटपूतली	19	—	19
17.	टोंक	23	167	190
18.	कोटा	45	—	45
19.	बून्दी-I	22	—	22
20.	बून्दी-II	29	—	29
21.	बून्दी-III	33	—	33

1	2	3	4	5
22.	रामगंज मण्डी	30	—	30
23.	झालावाड़	14	—	14
24.	जोधपुर	10	—	10
25.	सिरोही	5	—	5
26.	सोजत	2	—	2
27.	जालोर	110	—	110
28.	बाड़मेर	10	—	10
29.	बालेसर	—	—	—
30.	गोटन	—	—	—
31.	बीकानेर	72	—	72
32.	नागौर	—	—	—
33.	गंगानगर	—	—	—
34.	जैसलमेर	—	—	—
35.	भरतपुर	71	—	71
36.	धौलपुर	22	—	22
37.	करोली	88	—	88
38.	अलवर	71	—	71
39.	सवाईमाधोपुर	43	—	43
	योग	1397	669	2066

परिशिष्ट—ब

Impact on Revenue due to closure of Mines in forest lands

S. No.	Office	Loss due to closure (000 Rs.)
1	2	3
	A. Bharatpur Circle :	
1.	A. M. E. Sawai Madhopur	2729.75
2.	M. E. Alwar	6725.00
3.	M. E. Karoli	15700.00
4.	M. E. Bharatpur	2230.00
5.	M. E. Dholpur	6609.33
	B. Bhilwara Circle :	
6.	M. E. Bhilwara	6063.16
7.	M. E. Chittorgarh	7036.50
8.	M. E. Bijolia	6560.50
9.	A. M.E. Nimbahera	3921.21
	C. Jaipur Circle	
10.	A. M. E. Tonk	1220.04
11.	M. E. Jaipur	50682.23
12.	M. E. Neem ka thana	57348.11
13.	M. E. Ajmer	2020.92
14.	A. M. E. Kotputli	6764.09
	D. Jodhpur circle :	
15.	M. E. Sirohi	14801.05
16.	A. M. E. Sojatcity	364.60
17.	A. M. E. Barmer	100.92
18.	A. M. E. Jalore	6367.49
19.	M. E. Bikaner	2274.48

1	2	3
	E. Udaipur Circle :	
20.	M. E. Udaipur	139382.35
21.	A. M. E. Dungarpur	4145.96
22.	A. M. E. Banswara	20808.89
23.	A. M. E. Salumber	9516.54
24.	A. M. E. Kherwara	21678.57
25.	M. E. Rajsamand-II	187.29
	F. Kota Circle :	
26.	M. E. Kota	20147,69
27.	M. E. Ramganj mondi	47691.21
28.	M. E. Bundi-I	1093.75
29.	M. E. Bundi-II	1635.25
30.	M. E. Bundi-III	4081.80
31.	A. M. E. Jhalawar	644.18
	Total :	470532.86

परिशिष्ट–13

परिशिष्ट-क

(अतारांकित प्रश्न संख्या 58 की प्रति)

नकल एफ. आई. आर. संख्या : 95/96 दिनांक 26-6-96 धारा

307, 34, 120 बी. सी. द. स. पुलिस थाना पुरानी टोंक जिला टोंक राजस्थान।

पर्चा बयान श्री मोईनुद्दिन पुत्र श्री जहरुद्दीन जाति पिनारा उम्र 23 साल साकिन बाबरों का चौक पुरानी टोंक थाना पुरानी कोतवाली टोंक बसिलसिले जांच दरख्वास्त द्वारा एस. एच. ओ. थाना पुरानी टोंक दिनांक 18-6-96 के क्रम में दरियाफत पर बयान किया कि मैं दिनांक 16-6-96 को शाम के वक्त 7.30 बजे अपना स्कूटर लेकर घर से बाजार गया था। सामान लेकर अपने घर आ गया फिर मैंने अपना स्कूटर लेकर अपनी बहिन के यहां डाक खाने के सामने स्कूटर रखने के लिए गया था स्कूटर रखकर जब मैं वापिस अपने घर आने लगा तो मेरी बहिन के घर के आगे ही करीब 4 आदमी साजिद चाचा, मूसा व मूसा के दोनों लड़के ईशा, इलियास आदि के हाथों में हथियार थे। साजिद चाचा ने मेरे टांगों पर तलवार की मारी फिर मैं भागा तो ईशा ने मेरे पेट में गुप्ती घुसेड़दी जिससे मैं चोटग्रस्त हो गया और उठकर भागकर ट्रक में बैठकर जयपुर आ गया और ईलाज के लिए एस. एम. एस. एच. में भर्ती हो गया। अब मेरा ईलाज चल रहा है। एस. डी. मालीराम एच. सी. 2040 ओ. पी. एस. एम. एस. एच. पी. एस. मोतीडूंगरी दिनांक 23-6-96 एस. डी. मोईनुद्दीन।

कार्यवाही पुलिस

उक्त पर्चा बयान श्री मोईनुद्दीन पुत्र श्री जोहरुद्दीन कौम मुसलमान उम्र 23 निवासी बाबरों का चौक पुरानी टोंक का मुर्तिबा द्वारा श्री मालीराम एच. सी. 2040 पुलिस चौकी एस. एम. एस. एच. जयपुर थाना मोतीडूंगरी, जयपुर का श्री गणपतसिंह ए. एस. आई. ने वापसी थाना पर पेश किया जिसकी नकल अक्षरश अक्षर की गई। मजमून पर्चा बयान से मामला जुर्म धारा 307, 34, 120 बी. भा. द. स. का घटित होना पाया जाता है। अतः मु. नं. 5/96 बदफा उपरोक्त में कायम कर तफतीश श्रीमान सी. ओ. साहब श्री गोकुल कृष्ण परिहार को प्रेषित वास्ते अनुसन्धान की जाती है। क्योंकि मुकदमा हाजी का क्रोस केश 90/96 की तफतीश श्रीमान सी. ओ. साहब टोंक द्वारा की जा रही है। प्रतियां नियनानुसार चाकदर जारी की गई।

एस. डी. गणपतसिंह

एस. डी.
बद्रीनारायण, प्रभारी थाना
पुरानी टोंक दि. 26-6-96
वक्त 8 ए. एम.

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 63 की प्रति)

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–ई–8/एम/च. वे. शृं./95/25 आदेश दिनांक 25-5-95

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) वित्त (ग्रुप–2)/92 दिनांक 25-1-92 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कर्मचारी जिन्होंने राज्य से फार्म 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर ली है, को निम्न प्रकार से चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद एवं पदस्थान स्थान	संवर्गों में नियुक्ति तिथि	पूर्ण सेवा अवधि व दिनांक	च. वे. मान स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत चयनित वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रामेश्वर प्रसाद पारीक, कार्यालय सहायक, अधीक्षक, सा. चि. संघ, अजमेर	3-4-68	27 वर्ष 3-4-95	3-4-95	2000–3200
2.	श्री परमानन्द शर्मा, वरिष्ठ लिपिक सवाई मा. चि. जयपुर	1-2-67	1-2-94 27 वर्ष	1-2-94	1640–2900

1	2	3	4	5	6
3.	श्री शिवदास व्यास, कार्यालय सहा. उप मु. चि. एवं स्वा. अधि. (मलेरिया) बीकानेर ।	1-2-59	32 वर्ष 25-1-92	25-1-92	1640–2900
4.	श्री उमरावसिंह गांधी, का. सहा. मु. चि. एवं स्वा. अ. अजमेर	2-3-66	27 वर्ष 2-3-93	2-3-93	1640–2900
5.	श्री पुखराज त्रिवेश, का. स. मु. चि. एवं स्वा. अ. अजमेर	10-8-67	27 वर्ष 10-8-94	10-8-94	1640–2900
6.	श्री गोपाल लाल माथुर, व. लि. भ्रमणशील शल्य. चि. इकाई राज. जयपुर ।	28-10-67	27 वर्ष 28-10-94	28-10-94	1640-2900
7.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा, व. लि. उप मु. चि. एवं स्वा. अ. (प. क.) पाली ।	26-12-67	27 वर्ष 26-12-94	26-12-94	1640–2900
8.	श्री भैरूंसिंह भाटी, व. लि. पी. एम. ओ. पाली	12-1-68	27 वर्ष 12-1-95	12-1-95	1640–2900
9.	श्री राधेश्याम गुप्ता, व. लि. पी. एम. ओ. अलवर	2-3-68	27 वर्ष 2-3-95	2-3-95	1640–2900
10.	श्री सूरजमल मेघवाल, व. लि. संयुक्त निदेशक–जोन–कोटा	1-9-76	18 वर्ष 1-9-94	1-9-94	1400–2600

1	2	3	4	5	6
11.	श्री शिवशंकर अग्रवाल, व. लि. मु. चि. स्वा. प्र. धौलपुर	26-2-77	18 वर्ष 26-2-95	26-2-95	1400–2600
12.	सुश्री शकुन्तला गखरेजा, व. लि. मु. चि. स्वा. प्र. जोधपुर	1-3-77	18 वर्ष 1-3-95	1-3-95	1400–2600
13.	श्री रामनिवास हरिजन, व. लि, (वर्तमान में वरिष्ठ लिपिक) प्रा. व. के. मसूदा (अजमेर)	13-9-84	9 वर्ष 13-9-93	13-9-93	1200–2050
14.	श्री मनोज कुमार शर्मा, क. लि. स. मा. चि. जयपुर ।	13-6-85	9 वर्ष 3-6-94	3-6-94	1200–2050
15.	श्री अखिलेश कुमार शर्मा, क. लि. स. मा. चि. जयपुर	91-1-85	9 वर्ष 9-11-94	9-11-94	1200–2050
16.	श्री रामप्रकाश सैनी, टेलीफोन ऑपरेटर कम क. लि. स. मा. चि. जयपुर	1-1-86	9 वर्ष 1-1-95	1-1-85	1200–2050
17.	श्री भीमराज पणिया, क. लि. सा. स्वा. के. रामगढ़ (जैसलमेर)	6-1-86	9 वर्ष 6-1-95	6-1-95	1200–2050
18.	श्री किशोर कुमार, क. लि. संलग्न चिकि. समूह जोधपुर	6-1-86	9 वर्ष 6-1-95	6 1 95	1200–2050
19.	सुश्री निर्मला कुमारी, क. लि. मु. चि. स्वा. प्र. जोधपुर	13-1-86	9 वर्ष 13-1-95	13-1-95	1200–2050

1	2	3	4	5	6
20.	श्री अब्दुल रसीद अंसारी, क. लि. मु. चि. स्वा. अ. जोधपुर	13-1-86	9 वर्ष 13-1-95	13-1-95	1200–2050
21.	श्री सत्येन्द्रनाथ मंगल, क. लि. संयुक्त निदेशक जोन–जोधपुर	13-1-86	9 वर्ष 13-1-95	151-95	1200–2050
22.	श्री सुरेश चंद गुप्ता, क. लि प्र. चि. अधिकारी, अलवर	15-1-86	9 वर्ष 15-1-95	15-1-95	1200–2050
23.	श्री दामोदर लाल व्यास, क. लि. संयुक्त निदेशक जोन–जोधपुर	21-1-86	9 वर्ष 21-1-95	21-1-95	1200–2050
24.	श्री नत्थी खां, क. लि. क्षय निवारण केन्द्र, धौलपुर	24-1-86	9 वर्ष 24-1-95	24-1-95	1200–2050
25.	श्री बलवन्तराय, क. लि. प्र. चि. अधिकारी, अलवर	29-1-86	9 वर्ष 29-1-95	29-1-95	1200–2050
26.	श्री अब्दुल गफूर, क. लि. स. मा. चि. जयपुर	1-2-86	9 वर्ष 1-2-95	1-2-95	1200–2050
27.	श्री रामराय सैनी, क. लि. स. मा. चि. जयपुर	7-2-86	9 वर्ष 7-2-95	7-2-95	1200–2050
28.	श्री रतनलाल जोशी, क. लि. संलग्न चिकि. संघ, जोधपुर	14-2-86	9 वर्ष 14-2-95	14-2-95	1200–2050
29.	श्रीमती सुशीला शर्मा, क. लि. प्र. चि. अधिकारी, अलवर	19-4-86	9 वर्ष 19-4-95	19-4-95	1200–2050

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन चयनित वेतनमान में उपरोक्त वर्णित आदेश के पैरा संख्या 11 के अनुसार नियत किया जावेगा।

अति निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवाएं, राजस्थान

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 69 की सूची)

वार्षिक योजना मद 5054 वर्ष 94–95 एवं 95–96 में स्वीकृत नई सड़कों की सूची : निवाई विधान सभा क्षेत्र

(परिशिष्ट अ)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति नं./दि.	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय 12/96 तक लाखों में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	रा. उ. मार्ग 12 से अलियाबाद तक डामर सड़क का निर्माण 3.5 कि. मी.	एफ–16/ पी. डब्ल्यू/ए एस./ ड94/डी–680– एस. दि.9-12-94	13.00	13.00	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2.	सम्पर्क सड़क सोपरो से अरनियाकेदार कि. मी. 4	एफ–2/17/एस डी–164/7-6-95	10.00	8.15	डामर कार्य प्रगति पर है जो 31-3-97 तक पूर्ण कर दिया जावेगा।
3.	डामरीकरण कार्य पहाड़ों से सण्डावा कि. मी. 3	"	6.00	4.58	" "

1	2	3	4	5	6
4.	डामरीकरण कार्य मूण्डिया से बिडोली कि. मी. 5	एफ–2/17/एस. डी.–164/7-6-95	10.00	4.91	डामर कार्य प्रगति पर है जो 31-3-97 तक पूर्ण कर दिया जावेगा।
5.	वनस्थली विद्यापीठ से वनस्थली गाव बाईपास	एफ–2/एस 95 दि. 5-1-95	15.00	—	कार्य संवेदक द्वारा न करने के कारण एस. ई. वृत–7 जयपुर के पत्रांक 3220 दि. 27-12-96 को कार्य रिसाईन्ड कर दिया गया है पुनः निविदाएं जारी की गई हैं जो 27-2-97 को प्राप्त की जावेगी जिसका कार्य वित्तीय वर्ष 97–98 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।
6.	सम्पर्क सड़क चैनपुरा ललवाड़ी सड़क से मावता	,,	2.00	2.04	डामर का कार्य प्रगति पर है जो 31-3-97 तक पूर्ण कर दिया जावेगा।
		योग :	56.00	32.68	

परिशिष्ट (ग्र)

सुनिश्चित रोजगार योजना/30 जिला 30 काम योजना ग्रेवल/मेटल वर्ष 1994–95 में टोंक जिले की विधान सभा क्षेत्र निवाई के स्वीकृत कार्य

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृति नं./दि.	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि लाखों में	माह 12/96 तक कुल व्यय	विशेष विवरण कराये गये कार्य	 शेष कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	छाडी ग्राम से मालपुरा लिंक रोड 30 जि. 30 का.	599/18-2-95	1	5.00	260713.00	कार्य पूर्ण	—
2.	सम्पर्क सड़क मेटल सम्बल ग्राम भांवता	2865/24-2-95	1	3.50	284453.00	,,	—
3.	ग्रेवल वनस्थली से सुनारा रोड	,,	3	5.00	480537.00	,,	300 मी. में भूमि विवाद
4.	छोरिया से चतुमुजंपुरा रोड	,,	3	5.00	203110.00	1 किमी ग्रेवल पूर्ण	कार्य कृषि उपज मण्डी द्वारा प्रारम्भ करने के कारण कार्य समाप्त कर दिया गया है। किमी 2 विवादग्रस्त

(93)

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	करोरिया से भरथला रोड	2855/24-2-95	3	5.00	315504.00	3 किमी कार्य पूर्ण	
6.	मूण्डिया से बिडोली रोड	,,	3	5.00	523144.00	कार्य पूर्ण	—
7.	काचरिया से हनुतिया रोड	,,	3	5.00	302293.00	1.5 किमी ग्रेवल हनुतिया पूर्ण	1.5 किमी काचरिया विवादग्रस्त
8.	सड़क सेदरिया खुर्द	,,	3	5.00	216529.00	कार्य पूर्ण	300 मी. विवादग्रस्त
				38.50	2586283.00		

परिशिष्ट (ग्र)

सुनिश्चित रोजगार योजना एवं 30 जिला 30 काम योजना मेटल/ग्रेवल सड़क वर्ष 95–96 में

टोंक जिले की विधान सभा क्षेत्र निवाई के स्वीकृत कार्य

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृति नं./दि.	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत राशि लाखों में	माह 12/96 तक कुल व्यय	विशेष विवरण: कराये गये कार्य	विशेष विवरण: शेष कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्रेवल सड़क वनस्थली से मांसी बांध वाया करणपुरा	177–78 / 19-7-95	3	5.00	380329.00	कार्य पूर्ण	—
2.	ग्रेवल सड़क सम्पर्क सड़क देहलोद	873/8-2-95	3	5.00	100368.00	2 किमी अर्थवर्क 1 किमी जी. ग्रार.	1 किमी अर्थवर्क 2 किमी जी. ग्रार.
3.	ग्रेवल सम्पर्क सड़क ग्ररनिया	,,	3	5.00	18784.90	2 किमी अर्थवर्क 1 किमी जी. ग्रार.	,,
4.	ग्रेवल सम्पर्क सड़क श्रीरामपुरा नयागांव	,,	3	5.00	25613.00	2 किमी अर्थवर्क 0.5 ग्रेवल	0 किमी अर्थवर्क 2.5 ग्रेवल

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	ग्रेवल सम्पर्क सड़क खिड़गी	837/8-2-95	3	5.00	199904.00	2 किमी अर्थवर्क 1 किमी ग्रेवल	1 किमी अर्थवर्क 2 किमी ग्रेवल
6.	ग्रेवल सम्पर्क सड़क सिन्दड़ा	"	3	5.00	468395.00	3 किमी अर्थवर्क 1.5 किमी अर्थवर्क	— 1.5 किमी ग्रेवल
7.	ग्रेवल सम्पर्क सड़क बस्सी	"	3	5.00	173931.00	1 किमी अर्थवर्क 1 किमी ग्रेवल	2 किमी अर्थवर्क 2 किमी ग्रेवल
8.	डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निवाई से डागरथल	183–93 ——— 3–8–96		4.50	65212.00	एक लेयर 1.5 किमी मेटल पूर्ण	एक लेयर मेटल
				39.50	1432536.00		

परिशिष्ट—16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 70 की सूची)

प्रपत्र "अ"

सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्थित अधीक्षण अभियन्ताओं के कार्यालयों में कार्यरत तकनीकी सहायक के रूप में कार्यरत अधिशाषी अभियन्ताओं की सूची

क्र. सं.	अधीक्षण, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत -कार्यालय का नाम	तकनीकी सहायक के रूप में कार्यरत अधिशाषी अभियन्ताओं के नाम
1	2	3
1.	अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि, वृत-प्रथम; जयपुर	श्री एन. सी. साहनी
2.	अधीक्षण अभि. सानिवि, वृत–3 जयपुर	श्री बी. एम. बिहानी
3.	अधीक्षण अभि. सानिव, वृत–4 जयपुर	श्री एच. सी. गुप्ता
4.	अधीक्षण अभि. सानिवि, वृत–5 जयपुर	श्री एच. एस. सागू
5.	अधीक्षण अभि. सानिवि, वृत–6 जयपुर	श्री के. सी. जैन
6.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–2, जयपुर	श्री आर. के. मेहता
7.	अधीक्षण अभि., सानिवि, ए.डी.बी. वृत–शाहपुरा	श्री जी. एस. गुप्ता
8.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–7, जयपुर	श्री एस. के. बोयल
9.	अधीक्षण अभि , सानिवि, वृत–भरतपुर	श्री आर. एन. बजाज
10.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत-I अजमेर	श्री ओ. पी. शर्मा
11.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–नागौर	श्री एम. के. दवे
12.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–भीलवाड़ा	श्री भुवनेश माथुर
13.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–प्रथम कोटा	श्री आई. एस. होरा
14.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत-II कोटा	श्री असीम शर्मा
15.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–सवाईमाधोपुर	श्री के. एल. समलानी
16.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–I उदयपुर	श्री जे. एस. दवे

1	2	3
17.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–II उदयपुर	श्री सी. पी. गौड
18.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–राजसमंद	श्री शम्भुदत्त व्यास
19.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–बांसवाड़ा	श्री जे. के. गुप्ता
20.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–I जोधपुर	श्री ओ. पी. विजयवर्गीय
21.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–II जोधपुर	श्री एस. के. जैन
22.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–पाली	श्री श्रीधर व्यास
23.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–I बीकानेर	श्री आई. एस. सिवानी
24.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–चूरू	श्री वी. के. जैन
25.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–III बीकानेर	श्री जी. डी. गर्ग
26.	अधीक्षण अभि., सानिवि, वृत–गंगानगर	श्री ओ. पी गर्ग
27.	अधीक्षण अभि., सानिवि, यांत्रिक वृत–जयपुर	श्री पी. पी. सिन्हा
28.	अधीक्षण अभि., सानिवि, यांत्रिक वृत–जोधपुर	श्री बी. डी. शर्मा

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 74 का ब्यौरा)

परिशिष्ट "क"

बांसवाड़ा में माही-बांध स्थल पर निर्मित निरीक्षण गृह पर वर्ष 1984–85 से 1994–95 की अवधि में ठहरे आगन्तुकों का वर्षवार विवरण ।

वर्ष	आगन्तुकों की संख्या
1984–85	70
1985–86	61
1986–87	47
1987–88	50
1988–89	70
1989–90	62
1990–91	34
1991–92	21
1992–93	33
1993–94	27
1994–95	22
योग :	497

परिशिष्ट—18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 84 का विवरण)

1. महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए निम्न मापदण्ड निर्धारित हैं :—

(1) महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।

(2) प्रस्तावित स्थान के 20 कि. मी. की परिधि में कम से कम 4 सीनियर सैकण्डरी स्कूल कार्यरत हो।

(3) प्रस्तावित स्थान के 30 कि. मी. की परिधि में कोई महाविद्यालय कार्यरत नहीं हो।

(4) प्रस्तावित स्थान क्षेत्रीय दृष्टि से उपयुक्त हो।

2. उपरोक्त मापदण्डों के अतिरिक्त निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर निम्न मापदण्डों का भी ध्यान रखा जाता है :—

(1) निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर संचालकों द्वारा यू. जी. सी. द्वारा अनुशंषित वेतनमान लागू करना।

(2) राज्य सरकार निर्धारित वेतन के अन्तर्गत ही कर्मचारियों को वेतन भुगतान करना।

(3) सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करना।

(4) महाविद्यालय को छात्रोपयोगी सुविधाओं, गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना।

3. प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप दानदाता, स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट महाविद्यालय खोलने के लिए तत्पर हो एवं भवन बनाकर उपलब्ध कराने को तैयार हो और साथ ही सह शिक्षा के महाविद्यालय संचालित करने हेतु तीन वर्ष का तथा महिला महाविद्यालय के लिए एक वर्ष का कुल व्यय राजकोष में जमा कराने को तो राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर गुणावगुण के आधार पर उच्च स्तर पर किया जा सकता है।

———

परिशिष्ट—19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 85 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

बीकानेर जिले में तहसील लूणकरणसर वर्ष 93–94 की सूची

	राशि (लाख रुपये में)
1. श्री छगनलाल/बद्रीनारायण भार्गव, नापासर–बीकानेर (रसवन्ती)	0.10
2. श्री गोपीकिशन/भंवरलाल मोदी लूणकरणसर–बीकानेर (भारतीय मिठाई)	0.10
3. श्री शिवरतन/प्रेमरतन अग्रवाल, लूणकरण–बीकानेर (भारतीय मिठाई)	0.10
4. श्री दुर्गाराम/अमराराम शर्मा, लूणकरणसर–बीकानेर (ईंट भट्टा)	0.15
5. श्री मुमताज/करीमखान मुसलमान, लूणकरणसर–बीकानेर (सिलाई)	0.09
6. श्री इस्माईल/अमीन खां लूणकरणसर–बीकानेर (सिलाई)	0.09
7. श्री रमेशकुमार/काशरराम शर्मा, लूणकरणसर–बीकानेर (सिलाई)	0.09
8. श्री पुखराज/रमणलाल दर्जी, लूणकरणसर–बीकानेर (रेडीमेड)	0.12
9. लूणकरणसर विकास संस्थान, लूणकरणसर–बीकानेर (बीज संग्रह)	0.75
10. श्री भंवरलाल/कालूराम जाट घीरेरा, लूणकरणसर–बीकानेर (अनाज/दाल/प्रशाधन)	0.05
11. श्री बाबूसिंह/रावतसिंह राजपूत गरबदेसर, लूणकरणसर–बीकानेर (अनाज/दाल/प्रशाधन)	0.05

	राशि (लाख रुपये में)
12. श्री भीमसेन/चन्द्रनाथ भोगी, लूणकरणसर–बीकानेर (पामगुड)	0.26
13. " गोमन्दराम/उमाराम सुथार गारबदेसर, लूणकरणसर-बीकानेर (सुथरी)	0.05
14. " राजेन्द्रकुमार/हेमराज बरड़िया, लूणकरणसर–बीकानेर (इलेक्ट्रिक रिपेयर)	0.10
15. " सत्यनारायण/काशीराम सोनी, लूणकरणसर–बीकानेर (ज्वेलरी)	0.20
16. " मदनलाल/खताराम सोनी, लूणकरणसर–बीकानेर (ज्वेलरी)	0.20
	2.50

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1994-95 में लूणकरणसर तहसील में लाभान्वितों की सूची

	राशि (लाख रुपये में)
1. श्री गणतपसिंह/नोपाराम लूणकरणसर–बीकानेर (सुथारी उद्योग)	0.45
2. " मूलाराम/सूजाराम कुम्हार कालू, लूणकरणसर–बीकानेर (कुम्हारी उद्योग)	0.10
3. " मदनलाल/भ्याराम कुम्हार (प.) कपूसर, लूणकरणसर–बीकानेर (कुम्हारी उद्योग)	0.10
4. " जगदीश/खेमदास स्वामी अमरापुर, लूणकरणसर–बीकानेर (चूना कारीगर)	0.05
5. " ओमप्रकाश/नोपाराम नायक, लूणकरणसर–बीकानेर (सिलाई)	0.09
6. " डुंगरनाथ/कुन्दननाथ जोशी, लूणकरणसर–बीकानेर (सिलाई)	0.09

		राशि (लाख रुपये में)
7.	श्री मोहनराम/पन्नाराम लुहार, अमरापुरा, लूणकरणसर–बीकानेर (सुथारी)	0.07
8.	" हरीराम/रूघाराम लेहार करणीसर, लूणकरणसर–बीकानेर (लुहारी होम)	0.07
9.	" भूराराम/गोविन्दराम स्वामी, सुलेरा, लूणकरणसर–बीकानेर (सुथारी होम)	0.05
10.	" मोटाराम/रावतराम सुथार रावासर, लूणकरणसर–बीकानेर (सुथारी होम)	0.05
11.	" राधेश्याम/रामनाथ सुथार, लूणकरणसर–बीकानेर (सुथारी होम)	0.05
12.	" भीमाराम/आसूराम मेघवाल कल्लासर, लूणकरणसर–बीकानेर (सुथारी होम)	0.05
13.	" श्यामलाल/पन्नाराम सुथार कपूरीसर, लूणकरणसर–बीकानेर (सुथारी होम)	0.05
14.	" शिवरतन/प्रेमरतन अग्रवाल, लूणकरणसर–बीकानेर (मिठाई)	0.10
		1.37